हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

27 फरवरी, 1989

खण्ड 1, अंक 5

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 27 फरवरी, 1989

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5)1
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5) 33
विभिन्न विषयों का उठाया जाना –	(5) 48
बिल–	
दि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989	(5) 50
मुख्य मन्त्री के आंख के आपरेशन हैंतु शुभ कामनाएं	(5) 56
दि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989 (पुनरारम्भ)	(5)57

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 27 फरवरी, 1989

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता कीं।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैंम्बर साहैंबान, अब सवाल होंगे।

Profit earned by Haryana Tourism Corporation

***676. Shri Surinder Kumar Madan :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether the Tourism department earned profit during the year 1987-88; if so, the details of its Trial Balance Sheet, Profit and Loss Accounts and Trading Accounts Thereof ?

Industries Minister (Dr. Kirpa Ram Punia) : Yes. The accounts for the year 1987-88 have been compiled. The Company Law Board has been approached five times in the last five months for appointment of Statutory Auditors to finalise the accounts as required under the Companies Act.

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने अभी फरमाया है कि 1987–88 की बैलैंस शीट अभी तैयार नहीं हुई है। इन के पास 1986–87 की बैलैंस शीट होगी, ये कृपया उसे ही बता दें।

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर 'साहब, मैंने अर्ज किया है कि अकाउट्स तो 1987– 88 के कम्पायल हो चुके है लेकिन वे चूंकि अभी तक स्टैच्यूटरी औडिटर्ज ने औडिट नहीं किए हैं इसलिए उनको फाइनल वही कहा जा सकता। वर्ष 1986–87 में 1290 लाख रुपए का टर्न ओवर था और 32.10 लाख रुपए का प्रौफिट था वर्ष 1987–88 के जो टैटैटिव अकाउंट्स बने है उनके अनुसार 1547.52 लाख रुपए का टर्न ओवर है और औप्रेशनल प्रोफिट 132.50 लाख रुपए का है जिसमें से लगभग 60 लाख रुपए इंट्रैस्ट की लायबिलिटी है। यह इंट्रैस्ट हमने स्टेट गवर्नमैंट को देना है और 45.50 लाख रुप रैटल चार्जिज के स्टेट गवर्नमैंट को देने है। स्पीकर साहब, 1987–88 मै नैट प्रौफिट 27.00 लाख रुपए है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, अभी मन्त्री जी ने बताया है कि 1987–88 का हिसाब किताब तैयार कर दिया है लेकिन वे कम्पनी ला बोर्ड के पास पांच बार गए परन्तु उन्होंने अभी तक स्टैच्यूटरी औडिटर्ज औडिट के लिए अम्वायंट नहीं किए हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बार बार स्टैच्यूटरी औडिटर्ज अप्वायंट करवाने के लिए ऐप्रोच करने के बाद भी यदि औडिटर्ज न भेजे जाएं तो उसके लिए क्या रास्ता हैं,?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, स्टैच्यूटरी औडिटर्ज अप्यायंट करवाने के लिए हमें कम्पनी ला बोर्ड के पास ऐप्रोच करनी पड़ती है और हर कारपोरेशन को ऐप्रोच करनी पड़ती

है। हमने कम्पनी ला बोर्ड को स्टैच्यूटरी औडिटर्ज अप्वायंट करने के लिए पांच बार ऐप्रोच की है लेकिन कई बार उनके पास ऐप्रूवड औडिटर्ज अवेलेबल नहीं होते क्योंकि वे किसी और काम में बिजी होते हैं। हमने कम्पनी ला बोर्ड को ऐप्रोच की हुई है, जल्दी ही औडिटर्ज अप्वायंट हो जाएंगे and the accounts would be finalised.

डा० बृज मोहनः स्पीकर साहब, मैं. आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो औडिटर्ज अप्यायंट किए जाते हैं क्या वे सी० ए० जी० अप्यायंट करता है या फाइनैस डिपार्टमैंट अप्यायंट करता हैं?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, स्टैच्यूटरी औडिटर्ज के लिए हम कम्पनी ला बोर्ड को ऐप्रोच करते हैं और उन्हीं से अप्वायंट करवाए जाते हैं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होने कम्पनी ला बोर्ड को किस किस तारीख को स्टैच्यूटरी औडिटर्ज अप्वायंट करवाने के लिए ऐप्रोच की?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, पहली बार 13–5– 1988, दूसरी बार 4–7– 1988, तीसरी बार 16–8– 1988, चौथी बार 5– 10– 1988 और पांचवीं बार 25– 1– 1989 को हमने कम्पनी ला बोर्ड को ऐप्रोच की।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने 1986–87 में 32.10 लाख रुपए नैट प्रोफिट बताया है। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हू कि टूरिज्म कारपोरेशन के पास जितनी बिल्डिंग्ज हैं क्या उन सभी बिल्डिंग्ज पर कारपोरेशन ने अपना पैसा लगाया है या वह पैसा सरकार ने दिया है? यदि पैसा सरकार ने दिया है तो क्या उसका इंटैरस्ट इस मुनाफे से निकाला गया है या नही?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, जितनी भी बिल्डिंग्ज बनी हैं उन पर कारपोरेशन ने अपने अकाउंट्स में से पैसा खर्च किया है। यह बात जरूर है कि शुरू शुरू में कुछ रैस्ट हाउसिज कारपोरेशन ने टेक ओवर किए थे। जितनी' बिल्डिंग्ज अब बन रही हैं उनका खर्चा खुद कारपोरेशन 'बीयर कर रही है। जो शुरू शुरू में कुछ रैस्ट हाउसिज कारपोरेशन ने टेक ओवर किए थे उनको गवर्नमैंट से लिया है। मगर इन रैस्ट हाउसिज 'के साथ जो जमीन असैड है उसकी मैन्टैनैसं कारपोरेशन के पास है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पूर्व टूरिज्म कार्पोरेशन ने मंसूरी के अन्दर जो हरियाणा सरकार का पी० डब्ल्यू० डी० रैस्ट हाउस था उसको खरीदा है। मैं जानना चाहता हूं कि उसकी क्या कीमत लगाई गई है और, क्या उसकी पेमेंट कारपोरेशन ने पी० डब्ल्यू० डी० को कर दी हैं?

डा० किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, इसकी पूरी डिटेल्ज तो इस समय मेरे पास नही है लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो कौस्ट उसकी लगाई गई होगी वह टूरिज्म कारपोरेशन द्वारा जरूर दी जायेगी।

श्री आत्मा राम गोदाराः क्या मंत्री जी बताएंगे कि जब प्रौफिट और लौस का हिसाब लगाया जाता है तो कैपिटल इन्वैस्टमेंट पर जो नौर्मल तौर पर 10 परसैन्ट इन्ट्रैस्ट लगता है उसको खर्च में शामिल करके बैलैसं शाट बनाते हैं या नहीं?

डा० किरपा राम पुनियाः अध्यक्ष महोदय, जितना भी पैसा हम गवर्नमैंट से या बैकों से लेते है उस पर जो नौर्मल इट्रैस्ट होता है उसको एकाउंट फार करते हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या 679

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदन में उपस्थित नहीं थे।

Taxation Advisory Committee

***703. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state whether Form 38 of Sales Tax was considered by the Taxation Advisory Committee before it was enforced; if so, the date of its meeting togetherwith the names of the members/officers present in the said meeting ?

Excise and Taxation Minister (Rao Ram Narain) :

No, Sir.

श्री मंगल सैनः क्या मन्त्री महोदय फरमायेंगे कि व्यापारियों के लिये जो फार्म 38 लगाना आवश्यक किया गया है यह किस लैवल पर निर्णय लेकर के लागू किया गया है क्योंकि आपने जवाब में फरमाया है कि टैक्सेशन ऐडवाईजरी कमेटी में यह फार्म लगाने का प्रस्ताव कंसीडर नहीं हुआ?

राव राम नारायणः अध्यक्ष महोदय, मैं डाक्टर 'साहब को बताया चाहूंगा कि यह फार्म बाकायदा ड्राफ्ट रूल्ज के तहत पब्लिश होकर और नोटिफिकेशन हो कर ही लागू किया गया है। बाद मैं ऐडवाइजरी कमेटी के पास एतराज आए। इन एतराज पर ऐडवाइजरी कमेटी ने पूरा विचार किया। फिर ऐडवाइजरी कमेटी ने इस मामले में एक मीटिंग 8–9–88 को और दूसरी मीटिंग 14–12–88 को की। ऐडवाइजरी कमेटी ने पूरे तौर पर इस मामले को ऐग्जामिन करने के पश्चात यह मामला श्री मूलचन्द जैन जी को सुपुर्द कर दिया। फिर उन्होंने इसको पूरे तौर पर ऐग्जामिन किया और 5– 1–89 को अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में यह कहा कि यह फार्म रहना चाहिए। उन्होंने भी अपनीं रिपोर्ट में यह लिखा है कि हरियाणा का चाहैं कोई कन्साइनी हो या कन्साइनर उसके इस फार्म पर दस्तखत होने जरूरी हैं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इन्होंने मेरे सवाल के जवाब में एक जगह पर कह दिया कि 'नो सर'। फिर यह कहा कि यह फार्म बकायादा रुल्ज के मुताबिक और नोटिफिकेशन के बाद

लागू किया गया है और यह भी बताया कि इस बारे में एतराजात भी आये। साथ ही यह भी कहा कि इस पर दो कमेटियों ने विचार किया। मैं जानना चाहता हूं कि इन कमेटियों के मैम्बर कौन कौन थे औंर क्या उन सबकी सहमति से ही यह फैसला हुआ था?

राव राम नारायणः डाक्टर साहब आपका क्वैश्चन यह है कि ऐन्फोर्स होने से पहले ऐडवाइजरी कमेटी में कंसीडर हुआ या नहीं। इस पर मेरा जवाब यह है कि ऐन्फोर्स होने से पहले कन्सीडर नहीं हुआ था।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो फार्म–38 लागू किया गया है उसके बारे में क्या कोई मैमोरैण्डम या रिप्रजेन्टेशन्ज आई है, यदि आई है तो किन की तरफ से?

राव राम नारायणः इस बारे में बेशुमार मैमोरैन्डम तथा रिप्रैजेन्टेशन्ज व्यापारियों की तरफ से आई हैं। हमने उनको थ्रैडबेयर गौर किया और गौर करने के बाद ऐडवाईजरी कमेटी को सौप दिया जिसके चेयरमैन माननीय उप– मुख्य मन्त्री जी थे। इस कमेटी ने विचार करने के बाद इसे ऐडवाइजरी कमेटी के सदस्य बाबू मूल चन्द जैन को सौपा। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, उस पर अमल किया जा रहा है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर सर, आदरणीय मन्त्री महोदय ने फरमाया कि बाबू मूलचन्द जैन की रिपोर्ट पर अमल हो रहा है।

इन्होंने यह भी कहा कि व्यापारियो की तरफ से बेशुमार मैमोरैण्डम और रिप्रैजेन्टेशन्ज आई और उन पर गौर किया गया। गौर क्या किया गया कि विचार करने के बाद उप– मुख्य मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में बनी कमेटी को सौंप दिया। इस कमेटी ने गौर करके इस मामले को बाबू मूल चन्द जैन जी को सौंप दिया। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता है कि बाबू मूल चन्द जैन जी ने जो फैसला दिया क्या वह कायम रहैंगा या हटाया जाएगा ताकि जनता परेशानी से बच जाए?

राव राम नारायणः यह फार्म बिल्कुल कायम' रहैंगा। बाबू मूल चन्द जैन जी ने रिपोर्ट दी है कि यह फार्म ठीक है और उस पर हरियाणा के कन्साईनी या कन्साईनर के दस्तखत होने जरुरी हैं। इसकी बैकग्राउंड यह रही है कि पहले इस किस्म– का जो फार्म होता था उस पर कन्साईनी और कन्साईनर के दस्तखत होने जरुरी नही थे जिस कारण ट्रक ओनर्ज या कण्डक्टर्ज वगैरा बैरियर्ज पर दस्तखत करके ' माल ले जाते थे। लेकिन जो आगे डिलिवरीज होती थी वे बुक्स में नहीं मिलती थीं। व्यापारी अपने फार्म को डिसओन कर देते थे जिससे टैक्स इवेजन होता था। इस टैक्स इवेजन को बचाने के लिये यह फार्म लागू किया गया है।

सेठ लछमन दास बजाजः फार्म–38 के मुलालिक हजारों नही बल्कि लाखों व्यापारी इस वक्त सरकार के सामने चिल्ला रहैं हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप केवल सवाल ही करें डिटेल न दें।

सेठ लछमन दास बजाजः अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही कर रहा हूं। लाखों व्यापारी ऐसे हैं जो अपना माल कलकत्ता से मंगवाते हैं या फोन पर माल मंगवाया जाता है। फार्म– 38 एक सप्ताह के बाद मिलता है 1 मैं मन्त्री महोदय सै जानना चाहता हूं कि अगर फार्म– 38 एक सप्ताह बाद मिलता है और फर्म फार्म– 38 के बिना साल नही भेजेगी तो क्या माल पहुंचने मे देरी नहीं होगी

उप–मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): स्पीकर महोदय, फार्म–38 पहले थी लगता था जैसे कि माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है उस पर न तो कन्साईनर के हस्ताक्षर हैंते थे और न ही कन्साईनी के। कण्डक्टर ड्राइवर वगैरा बैरियर पर हस्ताक्षर कर देते थे। जब कोई डिस्प्यूट होता था, केस कोर्ट में चला जाता था तो उस वक्त न तो कन्साईनर और न ही कन्साईनी उस माल को ओन करता था जिस कारण कोर्ट के अन्दर डिपार्टमैंट हार जाता था। इसलिए फार्म–38 में कन्साईनर और कन्साईनी दोनों के हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिये गये है जिससे टैक्स इवेजन रुकी है। ऐसी प्रथा उत्तर प्रदेश में लागू है और बहुत ही इफैक्टिव तरीके से लागू है। वर्षों से व्यापारियों को इस पर किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। इसमें हमने अपने व्यापारियों को एक सुविधा दे दी है कि अगर किसी व्यापारी ने कलकत्ता से माल मंगवाना है तो वह फार्म–38 हस्ताक्षर करके

कलकत्ता के व्यापारी के पास रख सकता है जो कि माल भेजते समय उस फार्म को भी साथ भेज सकता है। उत्तर प्रदेश मे फार्म–38 सिर्फ दफतरी से ही मिलता है। हमने अपने व्यापारियों को यह सुविधा दी है कि वे फार्म अपने छपवा कर रख लें। जहां से वं माल मंगवाते है, कुछ फार्म अपने दस्तखत करके उनके पास रख दें ताकि जब वे कोई माल मंगवाएं तो बिल्टी के साथ और डौकुमैंट्स के साथ फार्म–38 भी साईन करके भेज दें। माल जब मंगवाया जाएगा या भेजा जाएगा तौ इस फार्म पर कन्साईनी के भी हस्ताक्षर होगे और कन्साईनर के भी हस्ताक्षर होंगे। यदि केस कोर्ट में जाएगा तो माल भेजने वाला और माल लेने वाला, दोनों मे से कोई इन्कार नहीं कर सकेगा। इसी लिए यह फार्म लागू किया गया है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर सर, हमारे उप मुख्य मन्त्री महोदय ने सारी बात को सक्षिप्त मे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यह बात स्पष्ट होने की बजाय उलझ गई। आपने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश मे बड़ी कामयाबी से यह स्कीम चल रही है लेकिन वह तो बड़ा प्रदेश है और हमारा एक छोटा सा प्रदेश है। आपने यह भी कहा है कि बड़ी भारी रियायत दे दीं है कि व्यापारी अपने फार्म खुद छपवा कर दूसरे व्यापारी को भेज सकते है। अगर अचानक किसी व्यापारी को किसी चीज की आवश्यकता होती है और वह माल बम्बई से मंगवाना चाहता है तो वह कैसे विजोलाइज करेगा, कैसे ऐटिसिपेट करेगा? वह कहता है कि फार्म

की कापी भेजिए तो वह कापी कैसे भेजी जायेगी? कापी न भेजने पर बोर्डर पर व्यापारी का माल रुकेगा, व्यापारी परेशान होगा और उस पर डैमरेज पड़ेगा। जब व्यापारी का नुक्सान होगा तो अल्टीमेटली कन्ज्यूमर को मंहगा माल लेना पड़ेगा।

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर जब व्यापारी बाहर से टेलीफोन पर माल मंगवाता है तो वह अपने आढ़ती से ही मंगवाता है जिसका उसके साथ व्यापार चलता है। कोई नया व्यापारी टेलीफोन पर माल नही भेजता है, यह कोई तरीका नही है। अगर वह किसी नये व्यापारी को ओर्डर भेजता है तो उसे बाकायदा लिखित में आर्डर देना पड़ेगा। वह लिखित में आर्डर देगा तो वह फार्म–38 भी भेज देगा। जो टेलीफोन से आढ़ती से माल मंगवाता है और जो उसे माल भेजता है वह ऐसे आढ़ती को पहले ही फार्म भेज सकता

सेठ लछमन दास बजाजः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस फर्म को हम टेलीफोन करते हैँ उसके अलावा और भी छः सात फर्मे होती हैं माल हमें केवल एक फर्म से मंगवाना होता है जिसका माल अच्छा हो और रेट कम पर मिलता हो उसको हम कैसे फार्म भेज सकेंगे? इस प्रकार से जिस फर्म से हमारा कांटेक्ट हो जाता है उस फर्म को हम फार्म– 38 नहीं भेज सकते हैं। इस तरह से चार दिन में वह हमें माल कैसे भेज सकेगा? हमें डैमरेज भी लग सकता है, रेट भी बढ़ सकता है और घाटा भी आ सकता है। इसलिए यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्षः आपकी बात का जवाब उन्होने पहले ही दे दिया है।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह जवाब नहीं दिया कि फार्म–38 किस मीटिंग में पास हुआ और उस मीटिंग में कौन–कौन भद्र पुरुष मैम्बर्ज थे। उन्होंने उत्तर में यह कहा है कि यह कंसीडर हुआ ही नहीं। उन्होंने यह भी कहा है कि दो कमेटियों ने गौर किया। दो कमेटियों के मैम्बर्ज के नाम तो बता दीजिए कौन कौन थे?

राव राम नारायणः अध्यक्ष महोदय स्टेट लैवल कमेटी में श्री बिशन स्वरूप दालवाला, श्री पवन कुमार गर्ग, श्री लछमन दास बजाज, श्री लखमी चन्द गुप्ता और श्री राम प्रकाश सेठी आदि ये सब मौजूद थे। वहां पर सब को सुना गया।

सेठ लछमन दास बजाजः स्पीकर साहब, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इन्हैं अपनी बात ऐक्सप्लेन करने का मौका तो मिलना चाहिए।

सेठ लछमन दास बजाजः स्पीकर साहव, मैं सैल्ज टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी का मैम्बर जरूर हूं। मुझे बात कर्ने का अधिकार भी है लेकिन मैंने उसके पक्ष में बात नही की थी बल्कि विपक्ष में बात की थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः यह कोई तरीका नही है। आप कृपया बैठिए।

तारांकित प्रश्न संख्या 691

यह प्रश्न पूछा नही गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री किशन सिह सांगवान, सदन मे उपस्थित नही थे।

Block Education Centre at Israna

***682. Chaudhri Satbir Singh Kadian :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Block Education Office at Israna in Tehsil Israna, District Karnal; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialised ?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज):

(क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त ''क'' के दृष्टिगत प्रश्न ही नहीं उठता।

चौधरी सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सारे हरियाणा में कितने ऐसे ब्लौक्स हैं, जिनमें ब्लौक ऐजूकेशन औफिस नही हैं और खास तौर पर इसराना में क्यों नहीं है?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, जो व्लौक ऐजूकेशन औफिस हैं, ये ब्लौक्स के मुताविक नहीं है। इसराना चाहैं ब्लौक है, लेकिन वहां पर ब्लौक ऐजूकेशन औफिस नही है। ब्लौक ऐजूकेशन औफिस खोलने के लिये आधार बिल्कुल अलग है। यह स्टेट मे ब्लौक्स के मुताबिक नही बल्कि वहां पर कम से कम 40 स्कूलों की संख्या हो तो वहां पर एक खण्ड बनाते हैं और इन 40 स्कूलों के खण्ड में कम से कम 150 अध्यापक कार्य करते हों और 30 किलोमीटर के रेडियस में कोई शिक्षा कार्यालय न हो वहां पर हम. यह औफिस खोलते हैं। यह नही कि हर ब्लौक में यह कार्यालय खोल देते हैं।

चौधरी सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर सर, मेरे 'इलाके के 28 गांवों में 40 से भी ज्यादा स्कूल हैं आम तौर पर 15 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र के अन्दर ऐसा ब्लौक औफिस खोला जाता है। इसराना मे ऐसा करने में क्या कठिनाई है?

श्रीमती सुषमा स्वराजः स्पीकर सर, जब मैं स्कूलों की बात करती हूं तो मैं प्राईमरी स्कूलों की बात करती हूं कि कम से कम वहां पर 40 प्राइमरी स्कूल होने चाहियें। जहां तक इसराना की बात है, यह मटलौडा ब्लौक में पड़ता है। वहां पर 29 ऐसे स्कूल हैं। इसलिये इसराना में ब्लौक ऐजूकेशन औफिस नही खोला जा सकता।

Duty Hours fixed for the Drivers and Conductors of Haryana Roadways

***673. Shri Atma Ram Godara :** Will the Minister of State for Transport be pleased to state—

(a) the approximate mileage/hours of duty and the kilometers fixed by the Government to be covered daily by the Drivers and Conductors of Haryana Roadways during the last two years; and

(b) whether any arrangements have been made for the Conductors and Drivers to stay at out door stations, if so, the details thereof ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री धर्मबीर सिंह):

(क) (1) लगभग तय – किए गए सफर–किलोमीटर

(क) 1986–87 = 299 किलोमीटर

(ख) 1987–88 = 305 किलोमीटर

(ग) ड्राइवर/कन्डक्टर ने प्रतिदिन लगभग 300 किलोमीटर तय करने होते हैं।

(ख) हरियाणा राज्य परिवहन के हर डिपो में आराम कमरों का प्रबन्ध किया गया है।

श्री आत्मा राम गोदारा: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि कंडक्टर्ज और ड्राइवर्ज को ओवर–टाईम के रूप में ऐवरेज कितना रुपया सालाना दिया जाता है?

श्री धर्मबीर सिंहः स्पीकर सर, ड्राइवर्ज और कुंडक्टर्ज जो कोई भी 8 घंटे से ज्यादा डियूटी करता है, उसको हम ओवर–टाईम देते हैं।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जहां पर बसिज का नाईट हाल्ट होता है, क्या सभी ऐसी जगहों पर कंडक्टर्ज और ड्राइवर्ज के ठहरने का इन्तजाम होता है?

श्री धर्मवीर सिंहः गांव में ऐसा इन्तजाम न होने के कारण उनको रात की डेली दी जाती है।

श्री आत्मा राम गोदाराः मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कंडक्टर्ज और ड्राइवर्ज को ओवर–टाईम – डियूटी के लिये ओवर–टाईम अलाउन्स दिया जाता है, यदि हां, तो कितना?

श्री धर्मबीर सिंहः कंडक्टर्ज और ड्राइवर्ज को पेस्केल के मुताबिक उनकी तनख्वाह का दुगुना ओवर–टाईम दिया जाता है।

श्री आत्मा राम गोदाराः क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि कितना रुपया एक साल में औन ऐवरेज ओवर–टाईम के रुप में कंडक्टर्ज और ड्राइवर्ज को दिया जाता है?

श्री धर्मबीर सिंहः वैसे तो इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिये लेकिन मैं इनको यह बता देता हूं कि तकरीबन 6 करोड़ रुपया हम साल में ओवर–टाईम का दे रहैं हैं।

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि एक घंटे या दो घंटे के अन्दर एक ड्राइवर को या कंडक्टर को कितना ओवर–टाईम मिलता है?

श्री धर्मवीर सिंहः यह उनकी पे के हिसाब से होता है। 8 घंटे में उनकी जो पे बनती है उसको एक घंटे के हिसाब से कैलकुलेट करके, उसका दुगुना प्रति घंटे के हिसाब से ओवर टाईम दिया जाता हैं।

श्री भगवान सहाय रावतः मैं मन्त्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं। उन्होंने यह बताया है कि 6 करोड़ रुपया सरकार ओवर–टाईम का दे रही है। आपको पता है कि जब आदमी अपना दिन का काम समाप्त कर ले यदि उसके बाद उससे काम कराया जाये तो उसकी उतनी ऐफिशिऐंसी नहीं रह पाती। इस 6 करोड़ रुपये की इतनी बड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए क्या नये कंडक्टर्ज और ड्राइवर्ज भर्ती करने के बारे में सरकार. विचार करेगी ताकि ऐफिशिऐंसी बढ़े और पैसा भी हमें ज्यादा खर्च न करना पड़े?

श्री धर्मवीर सिंहः स्पीकर साहब, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम नौर्म चेंज कर रहैं हैं।

चौधरी सतबीर सिंह कादयानः मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ड्राइवर्ज के लिये डियूटी किनने समय की निश्चित की हुई है?

श्री धर्मबीर सिंहः 8 घंटे।

श्री देवी दासः स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने यह कहा है कि कंडक्टर्ज और ड्राइबर्ज के ठहरने के लिये कमरे बने हुए हैं। क्या सोनीपत में भी उनके ठहरने के लिये कोई कमरे बनै हुए है, अगर बने हुए हैं तो कितने कमरे वहां पर बने हुए हैं?

श्री धर्मबीर सिंहः स्पीकर सर, ठहरने की जगह बनायी गयी शै। बिस्तर तो मैं नहीं बता सकता कि वहा पर कितने है।

कामरेड हरपाल सिंहः मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर जो सब–डिपोज हैं क्या उनमें भी कंडक्टर्ज और ड्राइवर्ज के ठहरने के लिये और आराम करने के लिये कोई इन्तजाम है?

श्री धर्मवीर सिंहः 6 बेज के जहां पर बस–स्टैंडज हैं, वहां पर उनके आराम करने के लिये जगह बनाई गयी है।

डा० बृज मोहनः स्पीकर साहब, जो बसिज रात को देहात में ठहरती है उनके ड्राइवर्ज और कन्डक्टर्ज को आदेश हैं

कि वे रात को बस में ही सोए। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो ड्राइवर और कंडक्टर बस में न सोए उनका चालान होता है?

श्री धर्मबीर सिंहः स्पीकर साहब, ड्राइवर और कंडक्टर बस में ही सोते हैं।

डा० बृज मोहनः स्पीकर साहब, मेरे इलाके कलावड में रात को बस के दो टायर उतार जिए गए और वे चोरी– हो गए। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है?

श्री धर्मबीर सिंहः स्पीकर साहब उनको बस में ही सोना पड़ता है और अगर कोई अपनी ड्यूटी पूरी न करे तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्री सुरेन्द्र कुमार महानः स्पीकर साहब, हरियाणा रोडवेज की बसिज में हमारी माताओं और बहनों के लिए कुछ सीट्स रिजर्व हैं लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि उन सीट्स पर पुरुष ही बैठे होते हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ड्राइवर या कंडक्टर की ड्यूटी लगाई जाएगी कि वे उन माताओं और बहनों को सीट्स पर बिठाएं?

श्री धर्मबीर सिंहः स्पीकर साहब, हर बस में दस सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। जब कोई बस बस स्टैण्ड से चलती है और वहां पर महिलाएं है' तो कडक्टर उनको सीट्स

पर बिठाएगा लेकिन अगर रास्ते में कोई महिला बस में चढ़ती है तो किसी सवारी को उठाकर वह नही बिठाएगा।

श्री शिव प्रसादः स्पीकर साहब, हमारे नोटिस में ऐसे मामले आए है जहां देहात के लिए कोई बस जाती है तो वह बस रात को उस देहात में नहीं ठहरायी जाती बल्कि ड्राइवर और कंडक्टर उसे अपने गांव में ले जाते हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर इस तरह की कोई शिकायत उनके नोटिस में आए तो ऐसे ड्राइवर या कंडक्टर के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी?

श्री धर्मबीर सिंहः स्पीकर साहब, जब कभी कभार ऐसी शिकायत आती हैं तो उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करते हैं।

श्री कान्ति प्रकाश भल्लाः स्पीकर साहब, लोकल बसिज में भीड ज्यादा होती है और लेडीज को पीछे से चढ़ने में दिक्कत होती है। क्या मन्त्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि लेडीज आगे से चढ़कर अपनी सीट ले लें?

(इसे प्रश्न का कोई जवाब नही दिया गया)

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, प्रायः देखा गया हैं कि शाम को जो बसिज चलती हैं उनके ड्राइवर और कंडक्टर बस को अपनी मलकियत समझ कर चलते है और वे लोग शराब पीकर चलते है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस बारे मे

कोई शिकायत आई है और वह इस बात का समाधान करेंगे जिससे कि आम सवारियों को कोई शिकायत न हो?

श्री धर्मबीर सिंहः मैं माननीय सदस्य से गुजारिश करूंगा कि अगर उनके नोटिस में कोई शिकायत है तो वे हमें बताएं, हम् कार्यवाही करेंगे।

श्री शिव प्रसादः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा है कि अगर कोई शिकायत आती है तो हम कार्यवाही करते हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि किसी के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया गया हैं?

श्री धर्मबीर सिंहः स्पीकर साहब, यह ब्यौरा देने के लिये अलग से नोटिस चाहिए.।

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग में जितने ड्राइवर और कंडक्टर हैं वे जरुरत के मुताबिक काफी हैं?

श्री धर्मबीर सिंहः स्पीकर साहब, जब भी हमें ड्राइवर और कंडक्टर्ज की जरुरत होती है हम एस० एस० एस० बोर्ड से आदमी ले लेते हैं और फिलहाल जितनी जरुरत हैं उतने भाग रखे हैं।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: स्पीकर साहब, अभी कंडक्टर्ज का चयन हुआ है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जितने कंडक्टर्ज का चयन हुआ है वे सारे के सारे लगा लिये हैं?

श्री अध्यक्ष: यह सवाल मेन क्वैश्चन से सम्बन्धित नहीं है। आप कृपया बैठिए।

General Bus Stand, Karnal

***799. Seth Lachhman Dass Bajaj : Will** the Minister of State for Transport be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Haryana Roadways buses passing through Karnal after 4.00 p.m. do not halt at General Bus Stand, Karnal; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to issue instructions that such buses must halt at General Bus Stand, Kama!' while passing through Karnal ?

Minister of State for Transport (Shri Dharambir Singh) :

(a) No.

(b) In view of (a) above, question does not arise.

Such instructions are already there. However, buses which are carrying through passengers for destinations beyond Karnal go direct via bye-pass.

सेठ लछमन दास बजाजः आदरणीय अध्यक्ष जी, सायं चार बजे के बाद चण्डीगढ़ से दिल्ली प्ल दिल्ली से चण्डीगढ़ आने जाने वाली बसिज करनाल बस स्टैंड पर रुक कर नहीं जाती जिसके कारण से यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्या सरकार इस तरह की हिदायतें देने की कृपा करेगी ताकि सभी आने जाने वाली बसिज –शाम 4 बजे के बाद करनाल बस स्टैड पर रुक कर जाएं? साथ ही क्या करनाल के अन्दर कोई मिनि वसिज चलाने का सरकार विचार रखती है?

श्री धर्मबीर सिंहः स्पीकर सर, चण्डीगढ़ से दिल्ली की तरफ जो बसिज चलती है उनमें 29 रूट्स ऐसे हैं जोकि करनाल बस स्टैड पर हो कर जाती हैं। इसी तरह से दिल्ली से जो करनाल और अम्बाला की तरफ बसिज आती है वे भी तकरीबन 24 रूट्स ऐसे हैं जोकि करनाल बस स्टैंड से होकर आती हैं। इसी तरह से यमुनानगर और कैथल से आने जाने वाली बसिज के कुल मिलाकर 27 रूट्स ऐसे हैं जोकि करनाल बस स्टैड पर होकर आती जाती है।

श्री रत्न लाल कटारियाः स्पीकर साहब, सरकार तकरीबन हर बस स्टैंड के०पर 40– 50 लाख रुपया व्यय करती है लेकिन फिर भी बसिज उन बस स्टैडज से होकर नही जाती है और सड़क से सीधी निकल जाती हैं। क्या इस तरह की हिदायतें सरकार से दी गई है?

श्री धर्मबीर सिंहः स्पीकर साहब, ऐसे कुछ टाईमज हमने कर रखे हैं जो दिल्ली से चण्डीगढ़ बिना रुके सीधी बसिज जाती है वरना बाकी बसिज करनाल और दूसरे बड़े बड़े बस स्टैडज से होकर ही जाती हैं।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा रोडवेज की बसिज जो कि विभिन्न रुट्स पर चलती है वे निश्चित बस स्टैंड्ज पर से होकर नहीं चलतीं हैं और वे किन्ही दूसरे प्राइवेट ढाबों पर रुकती हैं। क्या सरकार के पास इस तरह की कोई शिकायत आई हैं? अगर आई हैं तो क्या सरकार आगे के लिये उन्हैं इस तरह की कोई हिदायतें देगी ताकि वे बसिज सिर्फ मेन बस स्टैड्ज पर ही खड़ी की जाएं और प्राइवेट ढाबों पर खड़ी न की जाएं? प्राइवेट ढाबे वाले लोगों को इस कारण से काफी लूटते हैं जिस से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

श्री धर्मबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय. इस तरह की हिदायतें सरकार ने पहले ही जारी कर रखी हैं कि कोई बस प्राइवेट ढाबों पर नहीं रुकेगी। फिलहाल सरकार के पास इस तरह की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं कि हरियाणा रोडवेज की बसिज बस स्टैंडज पर रुकने की बजाये प्राइवेट ढांबों पर रुकती हों।

School buildings in Kailana Constituency

***733. Shri Ved Singh Malik :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of school buildings which are in dilapidated conditions as on 31-12-88 in the Kailana Constituency, Tehsil Ganaur, District Sonipat; and

(b) whether any amount for renovation or to construct new buildings for the schools out of those referred to in part (a) above have been sanctioned; if so, the details thereof ?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज):

(क) कैलाना विधान सभा चुनाव क्षेत्र में दिनांक 31–12–88 को कोई विद्यालय भवन नकारा नही था।

(ख) ''क'' के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री वेद सिंह मलिक: आदरणीय अध्याक्ष महोदय, गवर्नमैंट हाई स्कूल शेखुपुरा की बिल्डिग बिल्कुल नकारा हो चुकी है और उसका ऐस्टीमेट भी बन चुका है इसी तरह से पिपली। खेडा और कैलाना के स्कूलों की बिल्डिंगों का ऐस्टीमेट बन चुका है। क्या इन ऐस्टीमेट्स की स्वीकृति हो चुकी है कि नही?

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, सवाल था कि जिला सोनीपत की तहसील गन्नौर के कैलाना निर्वाचन क्षेत्र में उन विद्यालय भवनों की कुल संख्या कितनी है जोकि 31– 12– 1988 को जीर्णावस्था में हैं। उसका जवाब मैंने दिया कि 31 – 12– 88 को कोई विद्यालय भवन नकारा नहीं था। गवर्नमैंट हाई स्कूल

शेखुपुरा के स्कूल के केवल 3 कमरे और एक बरामदा असुरक्षित है, उसका ऐस्टीमेट तैयार हो गया है।

श्री वेद सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदया से यह जानना चाहता हू कि क्या एक हाई स्कूल के लिये इतनी अकमोडेशन सफिशिएन्ट हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, केवल तीन कमरे और एक बरामदा खराब है, पूरा स्कूल नकारा नहीं है। इनके पूरे विधान सभा क्षेत्र में कुल 15 स्कूल्ज हैं जिनमें से किसी का एक, किसी के दो कमरे खराब हैं। जिस स्कूल का इन्होंने जिकर कियी है उसके तीन कमरे और एक बरामदा खराब है।

श्री वेद सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट हार्ड स्कूल मे सिर्फ पांच कमरे हैं उनमें से तीन कमरे बिल्कुल नकारा हैं। तो क्या एक हाई स्कूल के लिये इतनी जगह सफिशिएन्ट होगी? क्या यह ठीक है?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल ठीक नही है। मैंने कब कहा कि ठीक है। पूरा स्कूल नकारा न् हीं है। केवल तीन कमरे और एक बरामदा असुरक्षित हैं। उसका ऐस्टीमेट बन चुका है।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने कोई सर्वे करवाया है जिससे यह पता चल सके कि किस हल्के में कितने स्कूल हैं और उनमें

से कितने स्कुलों की बिल्डिग की हालत खस्ता है? मेरे हल्के में अलीमेव गांव में हाई स्कूल है और उसके तीन कमरों की छत टूटी हुई है। क्या उसकी मुरम्मत करवाई जाएगी?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जिज्ञासा को जानती थी इसलिए हमने ऐसा सर्वे करवाया है। हमने इस बात का सर्वे करवाया है कि हमारे पूरे राज्य में हल्के वार कितने कितने स्कूल जीर्ण अवस्था में हैं। मैंने अगले महीने की दस तारीख को सभी डी० ई० ओज० की मीटिंग बुलाई है, उस दिन वे भारी सूचना लेकर आएंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस वारे मैं किसी भी माननीय सदस्य कि हो जिज्ञासा हो उसके बारे में वह मेरे से उस मीटिंग के बाद जानकारी ले लें।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, हमारे मन्त्री जी बहुत काबिल हैं। इनसे चाहैं कोई भी सवाल पूछ लें ये सब का जवाब दे रही हैं। अभी मेरे एक भाई ने बताया कि उनके एक हाई स्कूल में पांच कमरे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब वह स्कूल अपग्रेड किया गया था तो क्या उस समय क्राइटेरिया नहीं देखा गया था कि इसके कमरे पूरे हैं या नहीं?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल बिल्कुल वाजिब है क्योंकि 15 कमरों से कम. वाले किसी स्कूल को हाई स्कूल में और 11 कमरों से कम वाले किसी

स्कूल को मिडल में अपग्रेड नहीं किया जा सकता। मुझे खुद हैरानगी हो रही है कि पांच कमरों वाला हाई स्कूल कैसे हो सकता है? इसके लिये तौ पिछली सरकार उत्तरदायी है जिसने इस स्कूल को अपग्रेड किया।

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, मलिक साहब के हल्के में तो पांच कमरों का हाई स्कूल है लेकिन मेरे हल्के में कुड–सवाड़ और कुंगड–वहिनी में 1 5– 15 कमरे हैं लेकिन वहां पर हाई स्कूल नही हैं। क्या मन्त्री जी इनके हल्के के हाई स्कूल को तोड़ कैर मेरे हल्के में हाई स्कूल अपग्रेड करेगी? (हंसी)।

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, बहुत दिन पहले एक सवाल के जवाब में मैंने जगन नाथ जी से कहा था कि उनके जहां जहां हल्के में 15– 15 कमरे है उनकी लिस्ट दे दें, वहां जरूर अपग्रेड कर देंगे।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, कई स्कूलों की बिल्डिग बहुत जीर्ण अवस्था में हैं। वे 1986–37 के वक्त की टूटी हुई हैं 1 क्या मण्डी जी बताएगी कि उन पर अभी तक रिपेयर का काम क्यों नही हुआ?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह बहुत उचित सवाल पूछा है। वास्तव में अब तक जो तरीका चल रहा था उसके मुताबिक बिल्डिंग की मेंटेनैसं का काम ठीक तरह से नहीं चल सकता था। जितने भी स्कूल हैं उनकी बिल्डिंग

पंचायतें बना कर देती हैं और उनकी मेंटेनैस का काम पी० डब्ल्यू० डी० वाले करते हैं। अब से पहले टैंडर हो जाते थे और उससे पहले पी० डब्ल्यू० डी० वाले अपने नौर्म देखना चाहते थे इसलिए देरी हो जाती थी। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहती है कि अब हमने वह सारे का सारा तरीका बदल दिया है। पीछे. योजना बोर्ड की बैठक में तय किया गया है कि जो बिल्डिग फंड इकट्ठा किया जाता है उसका 70 प्रतिशत उगी स्कूल मे रहैंगा और 30 प्रतिशत डी० ई० ओ० के पास जाएगा। पहले 70 प्रतिशत पैसा डायरेक्टोरेट के पास आता था और 30 प्रतिशत डी० ई० ओ० के पास जाता था। अब स्कूल का हैड अपनी देख रेख में काम करवाएगा। 'इससे बहुत जल्द स्कूलों की हालत सुधर जाएगी।

चौधरी सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर सहिब, मेरे हल्के में डाहर में हाई स्कूल की हालत पिछले डेढ़ साल से बहुत खराब है

श्री अध्यक्षः एक एक स्कूल के बारे में बताना बहुत मुश्किल है। कृपया आप बैठें।

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि जिन स्कूलों की हालत खराब है उनके बारे में हमने अभी चार दिन पहले एक प्रस्ताव बनाया है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, बहुत सी स्कूलों की बिल्डिंगें कस्बो ओर शहूरों में ऐसी हैं जो किराए पर हैं। ऐसी

बिल्डिग्ज पर न तो उसका मालिक खर्च करता है और न ही सरकार करती है जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत खराब है। इस बारे में सरकार क्या कर रही हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, जाने वाली सरकार ने इस बारे में यह निर्णय लिया था कि ऐसी बिल्डिग्ज को ऐक्वायर कर लिया जाए। हमारी सरकार आने के बाद हमने सोचा कि इसके लीगल पहलू में जाना होगा। जिस किसी ने अपनी बिल्डिंग किराए पर दे रखी है उसको हम ऐक्वायर कैसे कर सकते हैं? यह मामला जेरे गौर है कि उनके मालिकों से नैगोशिएट करके वह बिल्डिग खरीद लें। मेरे पास यह केस आ चुका है और मुख्य मन्त्री जी के पास फाइल जाने के बाद जल्दी फैसला होने वाला है। शहरों में कुछ ऐसे स्कूल हैं जो प्राइवेट इमारतों में चल रहैं है और जिनकी मुरम्मत के लिए न मकान मालिक पैसा खर्च करते हैं और न ही सरकार पैसा खर्च कर सकती है उन विल्डिंग्ज की हालत को कैसे सुधारा जाए यह मामला पहले से ही सरकार के विचाराधीन है।

श्री आत्मा राम गोदाराः स्पीकर साहब, कई दफा ऐसी सिचुएशंन आ जीती है कि जैसे एक स्कूल की बिल्डिंग की रिपेयर के लिए कुछ पैसा दिया गया लेकिन उस स्कूल की बिल्डिंग 'की हालत ऐसी होती है कि उसकी कितनी ही रिपेयर करने के बावजूद भी वह बिल्डिंग टिक रही सकती। उस हालत में अगर वह

पैसा उसकी रिपेयर पर लगाएं तो यूजलैस जाता है। अगर उस पैसे से दो तीन नए कमरे बना लिए जाएं तो वह पैसा यूज हो सकता है। लेकिन ये दोनों बातें टैक्नीकली मुमकिन नही है। मैं आफके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समस्या को हल करने के लिए क्या. सरकार कोई नए कानून की व्यवस्था करेगी?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए नया कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बिल्डिंग फण्ड का पैसा होता है इससे बिल्डिंग की रिपेयर भी हो सकती है और इससे नए कमरे भी बनाए जा सकते हैं। इसलिए इस काम के लिए अलग से कानून की व्यवस्था करना कोई जरूरी नहीं है। माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह इस आधार पर कही है कि स्कूल के हैड्ज के पास बहुत कम पैसा खर्च करने की पावर है। अध्यक्ष महोदय, पहले जो नीति थी उसके तहत स्कूल का हैड कम पैसा खर्च कर सकता था यानी प्राईमरी स्कूल का हैड 100 रुपए, मिडल स्कूल का 300 रुपए और हाई स्कूल का हैड 1000 रुपए खर्च कर सकता था लेकिन नई नीति के अन्तर्गत प्राईमरी स्कूल का हैड 5000 रुपए, मिडल स्कूल का हैड 8000 रुपए और हाई स्कूल का हैड 10 हजार रुपए खर्च कर सकेगा। नई नीति के अन्तर्गत एक हैंड एट ए टाईम इतना पैसा खर्च कर सकेगा। इतने पैसे से छोटी मोटी रिपेयर का काम ही नहीं बल्कि अच्छी रिपेयर हो सकती है। अगर रिपेयर की बजाय कमेटी यह तय करती है कि उसकी जगह

नए कमरे बनने चाहिएं तो उसका प्रावधान भी इसी में रहैंगा। उसके लिए नया कानून बनाने की आवश्यक्ता नहीं है।

डा० बृज मोहनः स्पीकर साहब, जगाधरी शहर में एक ही बिल्डिंग में तीन सरकारी प्राईमरी स्कूल चल रहैं हैं और वह बिल्डिंग शहर के एक कौरनर पर है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन तीनों स्कूलों को अलग अलग बिल्डिंग्ज में शहर के डिफरेंट एरियाज में ले जाने का प्रबंध किया जाएगा?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह जायज मांग है। आज ही यह बात हमारे नोटिस में लाई गई है। अगर ऐसी बात है कि एक ही बिल्डिंग में तीन प्राईमरी स्कूल चल रहैं हैं तो माननीय सदस्य हमें पापुलेशन वाइज और एरियावाइज यह बता दें कि कहां कहां पर वह स्कूल होने चाहिएं? हम उस बात को ऐगजामिन करवाएंगे। अगर उन स्कूलों कों शहर के डिफरेंट एरिया में ले जाया जा सकता है तो जरूर इस तरफ ध्यान दिया जाएगा और उन को डिफरेंट एरिया में ले जाया जाएगा।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अभी बताया कि हैडज को पैसा खर्च करने की पावर बढ़ा दी गई है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनका कौन से हैड

से अभिप्राय है। प्राईमरी स्कूल का हैड होगा या हाई स्कूल का हैड होगा?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, हैड से मेरा अभिप्राय है कि पांच हजार रुपए प्राइमरी स्कूल का हैड खर्च कर सकेगा, 8 हजार रुपए मिडल स्कूल का हैड खर्च कर सकेगा और 10 हजार रुपए हाई स्कूल का हैड खर्च कर सकेगा यानी हर इंस्टियूशन का हैड यह पैसा खर्च करने की ताकत रखेगा।

कामरेड हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जीर्ण अवस्था में बिल्डिग्ज हैं उनकी मेन्टेनैंस के लिए टाईम बाउंड किया जाएगा कि इतने समय में उनकी मेन्टेनैस कर दी जाएगी?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में फैसला हो गया है और वह इसी वर्ष यानी अप्रैल 1989 से लागू हो जाएगा।

श्री कुन्दन लाल भाटियाः स्पीकर साहब, फरीदाबाद में 5–6 स्कूल ऐसे हैं जिनकी छतें गिर चुकी है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन स्कूलों को भी इस स्कीम में लिया जाएगा?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, अप्रैल, 1989 से यह स्कीम लागू हो जाएगी और इस स्कीम के अन्तर्गत उन स्कूलों के हैड्ज भी पैसा खर्च कर सकेगे।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बगैर बिल्डिंग नौर्म के जो स्कूल अपग्रेड कर दिए गए थे क्या हमारी लोकप्रिय सरकार उन स्कूलों की बिल्डिंग्ज बनाने की कृपा करेंगी? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे स्कूलो की बिल्डिंग्ज है जो पी० डब्ल्यू० डी० की बुक्स में नहीं हैं और क्या उन स्कूलों की बिल्डिंग्ज को रिपेयर करने की सरकार की कोई योजना है?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दो प्रश्न पूछे हैं। पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि अब नई नीति के तहत पी० डब्ल्यू० डी० की बुक्स में कोई स्कूल नहीं आयेगा। जहां तक इनका दूसरा प्रश्न है कि जहां पर बिना नौर्मज के स्कूल अपग्रेड कर दिए गए हैं क्या वहां पर सरकार भवन बनायेगी या नहीं, इसका उत्तर यह है कि यह पालिसी डिसीजन का केस है। इस बारे में तो पालिसी बनानी पड़ेगी कि आया उनकी अपग्रेडेशन को रहने दिया जाये और वहां पर भवन बनाया जाये या नहीं। इस बारे अभी कोई पालिसी डिसीजन नहीं लिया गया है।

Cases referred to Vigilance Bureau

***742. Shri Raghu Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of cases, if any, referred to State Vigilance Bureau for enquiry/investigation during the period from 1-11-87 to 31-1-89 togetherwith the details of cases and the charges levelled in each case;

(b) the number of the cases, out of those referred to in part (a) above, in which action has been taken on the basis of the enquiry conducted by the said Bureau to getherwith the details thereof; and

(c) the number of cases still pending for enquiries/investigations with the said Bureau togetherwith the period since when these are pending ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : The e requisite information is laid on the Table of the House.

Information

(a) 374 cases were referred to the State Vigilance Bureau for inquiry during the period. from 1-11-1987 to 31-1-1989. It is not in public interest to give the details of all these cases including the allegations levelled in each case.

(b) 250 enquiries out of those referred to in pars (a) above have been completed by the State Vigilance Bureau. Of these in 116 inquiries. the Administrative departments concerned have been asked to take necessary departmermtal action against the delinquent officials; in 27 cases criminal proceedings were ordered to be initiated; reports in 50 enquiries were sent to the Administrative departments concerned for information and record; 24 enquiries were filed, in one enquiry criminal proceedings were ordered to be, initiated and the department concerned was also asked to take departmental action against, the delinquent officials. In 8 cases the Administrative departments concerned were asked to effect recoveries of the loss caused to the Government from the

delinquent officials, 24 enquiries are being processed.

(c) 124 enquiries are still pending with the State Vigilance Bureau. Out of them 5 inquiries are pending for over one year, 62 enquiries are over 6 months old, 46 enquiries are. over 3 months old and 11 enquiries are less than 3 months old.

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जिन 250 केसों में जांच पूरी हो ने की बात कही है। क्या वे बताए गे कि उनमें जिन अधिकारियों का दोष था वह क्या है और इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ, दण्ड के रूप में क्या कार्यवाही की गई है? दूसरे जिन मामलों में फौजदारी मुकदमें दर्ज करने का आरोप है क्या उनके खिलाफ फौजदारी मु कदमें दर्ज हो चुके है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि डिटेल्ज औफ ऐलीगेशज और अधिकारियों का ब्यौरा देना पब्लिक इन्ट्रैस्ट में नही होगा। साथ ही मैं यह दुगना चाहूंगा कि विधान सभा के रुल्ज भी परमिट नहीं करते कि जो व्यक्ति सदन में हाजिर न हो उसके कन्डक्ट पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी की जाये।

श्री हीरा नन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जीं ने अपने जवाब में माना है कि 250 केसिज मैं जांच पूरी कर ली गई है और उनकी डिटेल्ज भो इन्होंने दी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हू कि इनमें कितने क्लास– 1, कितने क्लास– 2, कितने क्लास– 3 और कितने क्लास– 4 ऐम्पलाईज शामिल है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, टोटल केसिज 374 हैं। इनमें गजटिड अधिकारी 226 शामिल हैं, नौन गजटिड 321 कर्म चारी शामिल हैं और नौन औफिशियल 140 व्यक्ति हैं।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि 27 मामलों मैं फौजदारी मुकदमें दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। मैं मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जब किसी केस की एफ० आई आर० दर्ज हो जाती है तो वह पब्लिक डाकुमैंट हो जाती है। मैंने उनके आरोपों का ब्यौरा नहीं मांगा है, मैंने तो जांच के परिणाम मांगे है कि जो जांच की जा चुकी है उसका ब्यौरा क्या है ? क्योकि सरकार भ्रष्ट्राचार को खत्म. करना चाहती रो, इसलिए भ्रष्टाचार को दूर करने की बात को ध्यान में रखते हुत यह बताना जनहित में इनी होगा

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए कताना चाहता हूं कि विजिलैस विभाग ने 27 मामलों मे फौजदारी मुकदमे दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इन 27 मामलों में से कितने मामलों में फौजदारी मुकदमे दर्ज हुए शै और कितने मामलों में फौजदारी मुकदमें दर्ज नही हुए है, यह ब्यौरा बताना जनहित में नहीं हो सकता। यह बात ठीक है कि एफ० आई० आर० दर्ज होने के बाद वह मामला पब्लिक डौकुमैंट बन जाता है लेकिन विजिलैंस विभाग की तो रिकमन्डेशन है कि इतने मामले में फौजदारी मुकदमे दर्ज कर लिए जाए।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, यह टीक है कि जिन केसों में इन्वैस्टिगेशन चल रही हो उनके बारे में बताना जनहित में नही होगा लेकिन जिनके बारे में फैसले हो चुके है तथा सजा दी जा चुका है उनके बारे में बताया जा सकता है कि क्लास– 1, 2 तथा 3 के कितने अधिकारी शामिल है और कितनों को सजा दी जा चुकी है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः सजा अभी किसी को नहीं हुई है।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि 27 केसिज में विजिलैस की जांच के बाद फौजदारी मुकदमे दर्ज कर लिए हैं यानी उनके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज कर ली है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः डा० साहब, मैंने यह नही कहा है कि 27 केसिज में एफ० आई० आर० दर्ज की जा चुकी है। मैंने यह कहा है कि शयद हो सकता है कि कुछ केसिज में एफ० आई० आर० दर्ज हो चुकी हो और कुछ मे न हुई हो।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, अब ये शायद कह कर कि कुछे केसिज में एफ० आई० आर० दर्ज हो गई हो और कुछ में न हुई हो कोई प्रोटैक्शन लेना चाहैं तो अलग बात है। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः डा० साहब, मैंने तो पहले भी यही कहा है कि कुछ केसिज में हो सकता है कि एफ० आई० आर०

दर्ज हो गई हो और कुछ केसिज में न हुई हो। आपने शायद मेरी बात कोध्यान से सुना नही।

श्री मंगल सैनः स्पीकर सर, यह पब्लिक ईस्ट्रैस्ट की बात है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछ रहा था कि जो चार्जिज लगाए गए है उनके कारण क्या हैं और उनके खिलाफ क्या इल्जामात हैं? लेकिन शायद मन्त्री जी तैयार होकर नहीं आए हैं, इसलिए जवाब नहीं दे रहैं हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैंने अर्ज किया था कि ब्यूरो ने 27 केसिज मैं फौजदारी मुकद्दमें दर्ज करने की रिकमैडेशन की थी लेकिन कितनी एफ० आई० आर० दर्ज हुई या कितनी नही हुई इसका सारा ब्यौरा शायद हम न दे पाएं। डाक्टर साहब ने अभी कहा कि शायद मैं तैयार होकर नही आया हूं। डाक्टर साहब, मैं तो तैयार हो कर ही आया हूं। (विघ्न) स्पीकर साहब, एफ० आई० आर० के बारे में अगर डाक्टर साहब जानना ही चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं मगर यह पब्लिक इन्ट्रैस्ट में नहीं होगा।

श्री अध्यक्षः रहने दीजिए। नैकस्ट क्वैश्चन।

Measures adopted to save villages from floods

***835. Shri Tek Chand :** Will the Minister for Revenue pleased to state—

(a) whether it is a fact that villages of Narwana sub-division are affected by floods during the heavy rainy seasons; if so, the names thereof;

(b) whether there is any scheme under consideration of the Govt. to save the affected villages from floods; and

(c) if so, the time by which the afore-said proposal is likely to be materialised togetherwith the names of villages to be covered under the said scheme and the amount, if any, allotted for the said purpose ?

राजस्व मन्त्री (श्री सूरज भान):

(क) हां। नरवाना उप मण्डल के 140 गांव वर्षा ऋतु में बाढ़ से प्रभावित हुए। एक स्टेटमैंट (1) जिसमें प्रभावित गांवों के नाम अंकित हैं, सदन के पटल पर रखी जाती है।

(ख) हा। नरवाना उप मण्डल के गांवों को बाद से बचाने के लिए बाद नियन्त्रण बोर्ड द्वारा 13 योजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

(ग) इन योजनाओं को सारे राज्य के लिए प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वित कियौ जायेगा। अभी तक कोई धन राशि स्वीकृत नही की गई है। इन योजनाओं –से 24 गांवों को लाभ होगा। एक स्टेटमैंट (2) जिसमें इन गांवों के नाम अंकित हैं, सदन कें पटल पर रखी जाती है।

स्टेटमैंट नं० 1

भारी वर्षा /बाढ से प्रभावित उप–मण्डप नरवाना के गांवों की सूची।

क्रमांक गांव का नाम

1. नरवाना

2. सुदरपुरा

3. धर्मगढ

4. माल खेड़ी

5. श्योगढ

6. गुरथली

7. डूमर खां कलां

8. डूमर खां खुर्द

9. घासो खुर्द

10. करमगढ

11. धरोडी

12. जुलेहड़ा

13. लूहाब

14. फुलिया कलां

15. ककरोद

16. फुलिया खुर्द

17. नेहरा

18. अमरगढ

19. खानपुर

20. कन्ना खेड़ा

21 सलारा

22. राजगढ़ धोबी

23. धनादा कलां

24. इस्माईल पुर

25. डबलेन

26. बदन पुर

27. फ्रेन कला

28. फेन खुर्द

29. किलोदा कलां

30. किलोदा खुर्द

31. सच्चा खेड़ा

32. भीखी वाला

33. दनोदा खुर्द

34. दुर्जनपुर

35. दरौंद खेडा

36. उदय पुर

37. सन्थली

38. जजनवाला

39. धमतन साहिब

40. लोन

41 हमीरगढ

42. हरनाम पुरा

43. खरल

44. रसीदा

45. ढाबी टेक सिंह

46. नारायणगढ़

47. गढ़ी

48. पीपलथा

49. रेवड़

50. पदर्थ खेडा

51, हंसडाहर

52. दातासिह वाला

53. सिनद

54. घनौरी

55. डन्डौली

56. बरथल

57. मलखेरी

58. हरिपुरा

59. संगन

60. नन्दसिह वाला

61. दलेरखां

62. उझाना

63. चक उझाना

64. कुराड

65. खेडी लाम्भा

66. कोयल

67. नेपे वाला

68. उचाना कला

69. भगवानपुरा

70. खडवाल

71. झील

72. टोहाना खेड़ा

73. मंगल पुर

74. सुरभाड़ा

75. उचान खुर्द

76. ककरोद

77. नचर खेड़ा

78. मखन्द

79. दुदन

80. खेड़ी मसानिया

81. सेधा माजरा

82. घसो कलां

83. खेड़ी सफा

84. बरोदा

85. भोंगरा

86. खपरा

87. करसिन्धु

88. कबारछा

89. तरखा

90. अलीपुरा

91. खड़कपुरा

92. पहलवान

93. घोगरियां

94. रोज खेडा

95 मण्डी कला

96. छतर

97 करसन

98. खेड़ा गन्दा

99, भोसला

100. कलटा

101. मोहनगढ़

102. धनखेड़ी

103. खटकर

104. कलायत

105. बट्टा

106. बाहमनीवाला

107. कालरम

108. दुमेड़ा

109. सज्मा

110. डूबल

111. खरकपाण्डवा

112. डुडेवा

113. कोलेखा

114. भाना ब्राहमंन

115. शिमला

116. पिन्जूपुरा

117. हथो

118. मैटोर

119. चौसला

120. वजीर नगर

121 रामगढ़ पाण्डवा

122. बालू

123. खुलानी खेड़ा

124. बदसिकरी कलां

125. बीर खण्डलवाल

126. कलासर

127. खेड़ी शेरखा

128. भलैंग

129. लोधर

130. बदसिकरी खुर्द

131. सिंहवाल

132. विधराडाना

133. सुधका कलां

134. सिसर

135. सुदकेकां खुर्द

136. कमालपुर

137. ढाकल

138. कालवां

139. अम्बरसर

140. गुरसर

स्टेटमैंट नं० 2

बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्कीमों को कार्यान्वित किये जाने पर कवरड होने वाले गांवों की सूची।

क्रमांक गांव का नाम

1. बहमनीवाला
2. 2. दुमडा
3. सजूमा
4. बट्टा
5. रेवड़
6. पदर्थ खेडा
7. दुबल
8. सिनाद
9. उझाना
10. खरल
11. हमीरगढ
12. बलारखा
13. अम्बारसर
14. झील
15. डुमरखा खुर्द

16. डुमरख कलां

17. हथों

18, पिन्जूपुरा

19. शिमला

20. सिसर

21. सच्चा खेडा

22. बदोवाल

23. बदनपुर

24. सुन्दरपुरा

श्री टेक चन्दः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि स्कीमों के तहत इन गावों को अमांउट कब तक अलाट हो जाएगा?

श्री सूरज भानः यह स्कीम पिछले महीने ही ऐप्रूव हुई है। अमाउंट कब तक मिलेगा इसका जवाब तो माननीय उप–मुख्य मन्त्री थी गुप्ता जी ही दे सकते हैं।

श्री रत्न लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बाढ़ पीड़ित लोगों को

मौजूदा रिलीफ देने के लिए सर्वे पर कितनी धनराशि खर्च की गई ई?

श्री सूरज भानः यह सवाल पिछले सैशन में भी पूछा गया था और इसका सिलाई भी दे दिया गया था। फिर भी मैं जानकारी के लिए इनको बता देता हू कि जितना सैंटर गे खर्च किया है उससे ज्यादा ही खर्च किया गया है।

श्री टेक चन्दः अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने 140 गांव बताए हैं जिनमें नुकसान हुआ है। 10 करोड़ रुपये से०पर किसानों की फसल का नुकसान हुआ है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि किसानों की जो फसलें नष्ट हुई हैं क्या उनका मुआवजा किसानों को दिया जाएगा?

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री जी जिस समय आये थे तो उन्होने कहा था कि फसलों के नुकसान के बारे में कुछ नहीं दिया जाएगा।

कामरेड हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब दे रहैं हैं या कि हरियाणा सरकार की तरफ से?

श्री सूरज भानः क्योंकि स्कीम सैंटर की थी इसलिए उसके बाहर नहीं जा रहैंहैं।,

श्री टेक चन्द: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या हरियाणा सरकार में कोई ऐसी स्कीम विचाराधीन है जिसके तहत किसानों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए उनको कम्पनसेट किया जाएगा?

श्री सूरज भान: अपने सीमित साधनों को देखते हुए फिलहाल इसका कोई विचार नहीं है।

Expenditure on Petrol on the Vehicles of Council of Ministers

***702. Shri Hira Nand Arya :** Will the Minister of State for Transport be pleased to state the total amount of expenditure incurred on account of petrol on the vehicles provided to the Chief Minister, Deputy Chief Minister and each of the Minister, Minister of State, Deputy Minister and Chief Parliamentary Secretary during the last three years ?

Minister of State for Transport (Shri Dharambir Singh) : The requisite information is laid on the Table of the House.

Information

Statement of expenditure incurred on Petrol for the cars of Chief Minister/Deputy Chief Minister/Minister/State Minister Deputy Minister/Chief Parliamentary Secretary for undertaking official tour during the period from 1-1-1986 to 31-12-1988.

S.	Name of the Hon'ble Minister	Period	Amount

No.			
1	2	3	4
I.	Sh. Bhajan Lal, Ex-C.M.	1/86 to 6/86	44,755,88
2.	Sh. S.S. Surjewala, Ex-I.P.M.	1/86 to 6/86	25,562.56
		7/86 to 12/86	34,679.22
		1/87 to 6/87	31,279.61
			91,521.39 Total
3.	Sh. Katar Singh, Ex-F.M.	1/86 to 6/86	40,429.73
		7/86 to 12186	60,236.42
		1/87 to 6/87	39,124.90
			1,39,791.05 Total
4.	Col. Ram Singh, Ex-T.M.	1/86 to 6/86	68,783.15
		7/86 to 12/86	67,292;02
		1/87 to 6/87	74,221.57
			2,10,296.74 Total

5.	Smt. Parsani Devi, Ex-A.M.	1/86 to 6/86	31,936.02
		7/86 to 12/86	45,141.67
		1/87 to 6/87	41,305.90
			1,18,383.59 Total
6.	Sh. Rajinder Singh, Ex-D.M.	1/86 to 6/86	24,292.16 Total
7.	Sh. Goverdhan Dass Chauhan,	6/86 to 12/86	43,774.58
	Ex-H. M.	1/87 to 6/87	39,078.15
			82,852.73 Total
8.	Smt. Shakuntla Bhagwaria,	1/86 to 6/86	53;290.89 Total
		Ex-I.M.	
9.	Sh. Amar Singh Dhank,	1/86 to 6/86	33,184.30
	Ex-P.W.M.	12/86 to 6/87	39 ,534.21
			72,718 .51 Total
10.	Smt. tartar Devi, Ex-H.M.	1/86 to 6/86	36,847..82
		12/86 to 6/87	42,977.97
			79,825.79 Total
11.	Sh. Kalyan Singh, Ex-F.S.M.	1/86 to 6/86	26,579:52 Total
12.	Sh. Rajesh Sharma Ex-State	1/86 to 6/86	22,544.20
	Minister	7/86 to 12/86	30,347.75

		1/87 to 6/87	29,817.64
			82,709.59 Total
13.	Sh. Chanda Singh, Ex-State	1186 to 6/86	37,741.34 Total
	'Minister		
14.	Sh. Jagdish Nehra,	1/86 to .6/86	32,179.90
	Ex-State-Minister	12/86 to 6/87	41;382.53
			73,562.43 Total
15.	Sh. La! Singh, Ex-State Minister	1/86 to 6/86	35,225.11
16.	Sh. L.D. Arora, Ex-Minister	1/86 to 6/86	25,544.22
		12/86 to 6/87	28,432 . 34
			53,976.56 Total
17.	Sh. Piara Singh, Ex-State Minister	1/86 to 6/86	34,857.21
		7/86 to 12/86	30,112.29
		1/87 to 6/87	26,912.81
			91,882.31 Total
18.	Sh. Om Parkash Mahajan,	1/86 to 6/86	26,734.13

	Ex-Minister	12/86 to 6/87	30,327.11
			57,061.24 Total
19.	Sh. Jaswant Singh, Chauhan, Ex-Minister	1/86 to 6/86	22,734. 30 Total
20.	Sh. Mohan Lal Pipal, Ex-CPS.	1/86 to 6/86	31,797 13 Total
21.	Sh. Roshan Lal Ex-P.S.	1/86 to 6/86	13,997.07 Total
21-A.	Sh. Sagar Ram Gupta, Ex-Minister	1/86 to 6/86	28,367.15 Total
21-B.	Sh. Shakrulla Khan, Ex-Minister	1/86 to 6/86	24,804.11 Total
22.	Sh. Bansi Lal, Ex-C. M.	6/86 to 12/86	29,338.72
		1/87 to 6/87	26,466.46
			55,805.18 Total
23.	Sh. Phool Chand Mulana,	6/86 to 12/86	53,727 . 55
	Ex-P.W.M.	1/87 to 6/87	18,108.01
			71,835.56 Total
24.	Sh. Tayyab Hussain, Ex-A.M.	12/86 to 6/87	24,003.92
		4/88 to 12/88	55,672,49
			79,676.41 Total
25.	Sh. Nirmal Singh, Ex-R.M.	6/86 to 12/86	24,995.55

		1/87 to 6/87	27,022.39
			52,017.94 Total
26.	Rao Inderjeet Singh, Ex-F.S. M.	6/86 to 12/86	35,153.78
		1/87 to 6/87	30,603.84
			65,757.62 Total
27.	Smt. Sharda Rani, Ex-E.M.	6/86 to 12/86	29,019 .16
		I/87 to 6/87	23,158.56
			52,177.72 Total
28.	Sh. A.C. Chaudhary,	6/86 to 12/86	28,014.87
	Ex-State Minister	1/87 to 6/87	35,883.18
			63,898,05 Total
29.	Sh. Sri Krishan Dass, Ex-E.T.M.	6/86 to 12/86	24,773.47
		I/87 to 6/87	29,283.40
			54,056 87 Total
30.	Ch. Devi Lal, C.M.	6/87 to 12/88	1,77,267.28 Tota1
31.	Sh. B.D. Gupta, Dy. C.M.	6/37 to 12/88	1,23,238.19 Total

32.	Rao Rim Narain, E.T.M.	4/88 to 12/88	46,891.16 Total
33.	Sh. Verender Singh, I.P.M.	6/87 to 12/88	1,03,743.59 Total
34.	Sh. Sampat Singh, H.M.	6/87 to 12188	1,09,805.30 Total
35.	Sh. K.R. Punia, LM.	6/87 to 12/88	1,01,887.02 Total
36.	Sh. Suraj Bhan, R.M.	6/87 to 12(88	1,22,392.28 Total
37.	Sh. Parma Nand, F.M.	7/87 to 1/88	39,571.01
		4/88 to 12/88	33,278.62
			72,849 . 63 Total
38.	Smt. Sushma Swaraj, F.S.M./E.M.	1/88 to 12/88	58,200,80 Total
39.	Sh. Khursheed Ahmed, E.M.	9/87 to 12/88	1,21,614.65 Total
40.	Sh. Ram Bilas Sharma, P.H.M.	8/87 to 12/88	1,11,084.79 Total
41.	Sh. Laxmi Narain, Ind. Trg. Minister	8/87 to 12/88	1,21,164.48 Total
42.	Sh. O.P. Bhardwaj, P.W.M.	8/87 to 12/88	84,031.19 Total
43.	Sh. Hukam Singh, DIM,	8/87 to 12/88	78,898.18 Total
44.	Smt. Kamla Verma, H.M.	9/87 to 12/88	79,572.25 Total
45.	Sh. Azmat Khan, M.A.H. State Minister	8/87 to 12/88	1,09,260.70 Total

46.	Sh. Dharantbir Singh; State Minister	/87 to 12/88	1,38,836.32 Total
47.	Sh. L.D. Kamboj, Dy. Minister	10/87 to 12/88	55,982.47 Total
48.	Sh. Manphool Singh, Ex-M.A.H. (State)	7/87 to 4/88	49,539.77 Total
49.	Sh. Raghubir Singh, State Minister	8/87 to 12/88	79,234.02 Total
50.	Sh. Subhash Katyal D. D.M. State Minister	8/87 to 12/88	93,688.94 Total
51.	Sh. B.S. Saini, State Minister	9/87 to 12/88	94,748 .59 Total
52.	Sh. Sita Ram Singla, State Minister	9/87 to 12/88	72,461.64 Total
53.	Sh. Nar Singh Dhanda, State Minister	9/87 to 12/88	73,025.25 Total
54.	Sh. Avtar Singh Badana State Minister	11/88 to I2/88	17,748.94 Total
55.	Sh. Hari Singh Saini, State Minister	11/88 to 12/88	12,640.86 Total
56.	Sh. Maha Singh, Ex-M.D, State Minister	9/87 to 1/88	20,701.16 Total
57.	Rao Narbir Singh, Ex-State	Minister	24,992.29 Total

		9/87 to 1/88	
58.	Sh. Sachdev Tyagi Dy. Minister	10/87 to 12/88	87,71 .44 Total
59.	Sh. Dhirpal Singh, C.P.S.	1/88 to 12/88	83,867.47 Total

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो सूची इन्होंने सदन के पटल पर रखी है इसमें पिछले मंत्रियों के पैट्रोल के खर्चे मै इतना अन्तर क्यों है? एक मन्त्री कर्नल राम सिंह का पैट्रोल का खर्चा दो लाख रुपये से अधिक है और दूसरे कई मन्त्रियों का कुछ हजार है। यह इतना अन्तर क्यों है?

श्री धर्मवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पैट्रोल के खर्च का ब्यौरा मांगा था जो दे दिया गया है। खर्च के अन्तर केबारे में तो वही जानें जिन्होंने खर्च किया है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर सर, चौधरी भजन लालजी ने जो खर्चा 6 महीने में किया वह लगभग 44 हजार रुपये है लेकिन कर्नल राम सिंह ने 1/86 से 6787 तक 2,10,297 रुपये खर्च किये। माननीय मन्त्री श्री धर्मवीर सिंह जी ने फाईल देखी होगी, अपने स्टाफ से पूछा होगा कि आखिरकार वे क्या काम करते रहैं जो इतनो खर्च हो गया?

श्री धर्मवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, श्री भजन लाल जी का टैंन्योर थोड़ा था लेकिन राम सिंह जी दुबारा भी दूसरी

मिनिस्टरी के टाईम पर भी मिनिस्टर बने थे इसलिए उन पर ज्यादा खर्च हुआ।

Primary Education Directorate

***880. @Shri Parshad, Shri Hira Nand Arya** :Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a separate Directorate for Primary Education to improve the standard of Primary Education in the State; if so, the details thereof ;

(b) whether it is a fact that all Primary Schools have been separated from High/Middle Schools and Higher Secondary Schools, in the State;

(c) whether posts. of Head Teachers are sanctioned in these schools, as referred to in part (b) above; and

(d) the total number of vacancies of Head Teachers lying vacant at present togetherwith the time by which these are likely to be filled up ?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज):

(क) निदेशालय अब स्थापित हो चुका है। विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) नही, अभी नही।

(ग) अभी नहीं।

(घ) राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में 1224 मुख्याध्यापकों के पद रिक्त है।

इन रिक्तियों को शीध्र ही भर दिया जायेगा।

विवरण

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का ढांचा

(क) निदेशालय

निदेशक	
संयुक्त निदेशक	1
सहायक निदेशक	3
रजिस्ट्रार	1
ए० डी० ए० (सहायक जिला अटारनी)	1
पांच शाखाएं	

(ख) क्षेत्रीय कार्यालय

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी	12

श्री शिव प्रसादः अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदया ने मेरे तारांकित प्रश्न के ''ख'' भाग का जवाब देते हुए कहा है कि ''नहीं, अभी नहीं।'' मैं आपके द्वारा इस विषय में जानना चाहूंगा कि राज्य के सभी प्राईमरी स्कूलों को हाई, मिडल तथा हायर सैकेण्डरी स्कूलो से कब तक अलग कर दिया जायेगा ?'

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय जो प्राईमरी शिक्षा के लिए निदेशालय बना है, उसके नीचे जो प्रार्ड्मरी इन्डिपेन्डेन्ट स्कूल हैं उनको भी देखेगे और जो हमारे हाई, मिडल तथा हायर सैकेण्डरी स्कूलों के साथ लगे हुए हैं उन्हैं भी देखेंगे। अभी दो महीने पहले ही निदेशालय बना है। वहां पर हमने 12 जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी लगा दिये है और यह अलग से काम करना शुरू कर देगा। जो हाई, मिडल और सैकेण्डरी स्कूलों के साथ लगे हुए प्राईमरी सैक्शनज हैं उनका भी काम तुरन्त ही चालू कर दिया जायेगा क्योंकि जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है।

श्री शिव प्रसादः अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न के 'ग'' भाग में मंत्री महोदया ने बताया है कि ''अभी नहीं''। इसलिए मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि वहां पर जो मुख्य अध्यापकों के पद हैं उनकी स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि कुछ प्राईमरी स्कूल इन्डिपेन्डेन्ट हैं और कुछ साथ में अटैच्ड सैक्शनज हैं। जो इन्डिपेन्डेन्ट प्राईमरी स्कूल हैं उनकी स्वीकृति दे दी गई है और जो प्राईमरी अटैच्ड सैक्शनज हैं वे अलग कर दिये जायेंगे। अलग करने के बाद वहां पर जो टीचर्ज लगे हुए हैं उनमें जो सब से सीनियर हैं उनको हैड बनायेंगे। जब वह अलग हो जायेंगे तो उनकी भी तुरन्त स्वीकृति दे देंगे।

चौधरी सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो मिडल, प्रार्ड्मरी और हाई स्कूल अलग कर दिये जायेंगे, क्या वहां पर बिल्डिंग की कमी नहीं हो जायेगी क्योंकि वहां पर हैडमास्टरों को अलग से कमरा देना पड़ेगा ?

श्रीमती सुषमा स्वराजः बिल्डिंग कम नही होगी। वहां पर बिल्डिंग पहलें ही है। एक कमरा हैंडमास्टर के लिए अलग हो जायेगा। बिल्डिंग वही रहैंगी और जो ऐडमिनिस्ट्रेशन का खर्च है उसके लिए हमने पहले ही स्वीकृति ले ली है और' जो प्राईमरी का निदेशालय अलग से बनाया गया है उसकी भी स्वीकृति हमारे पास है।

डा० बृज मोहनः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि जो निदेशालय प्राईमरी ऐजूकेशन

के लिए बनाया गया इसमें टीचिंग स्टाफ से अधिकारी लिए गये हैं या आई० ए० एस० केडर से लिए गये हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराजः टीचिंग स्टाफ से लिए है। आई० ए० एस० केडर से नही लिए हैं।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने बताया कि प्राईमरी निदेशालय बनाया है। मैं इनसे यह पूछना चाहूंगा कि जो मिडल, हाई और हायर सैकेन्डरी स्कूलों के साथ प्राईमरी सैक्शन्ज अटैच्ड हैं वे उन्हीं के साथ अटैच रहैंगे या प्राईमरी निदेशालय उन्हैं अलग से डील करेगा?

श्रीमती सुषमा स्वराजः उनको भी प्राईमरी निदेशालय ही डील करेगा। जो मिडल, हाई और सैकेण्डरी स्कूलों के साथ अटैच्ड प्राईमरी सैक्शन्ज हैं उनको प्राईमरी निवेशालय डील करेगा, उनको मिडल वाला डी० ई० ओ० डील नहीं करेगा, उनको डी० पी० ई० ओ० ही डील करेगा।

Mr. Speaker : Question Hour is over.

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Production of Sugarcane

109. Shri Bhag Mal : Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the names of villages in which the Sugarcane is being produced in the constituencies of Sadhaura;

Naraingarh and Barwala Block of Kalka Constituency; and

(b) the names of the villages, out of these referred to in part (a) above, have been allocated to the Saraswati Sugar Mills, Jagadhri and the Cooperative Sugar Mills, Shahabad, separately ?

कृषि मन्त्री (श्री तैयब हुसैन):

(क) विधान सभाई क्षेत्रों सढौरा एवं नारायणगढ़ तथा कालका विधानसभा क्षेत्र के बरवाला खंड के उन गांवों के नाम जिन में गन्ना उगाया जा रहा है, अनुबन्ध–1 में दिये गये हैं।

(ख) पैरा (क) में वर्णित सढ़ौरा एवं नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उन गांवों के नाम जिन्हैं सरस्वती चीनी मिल, यमुनानगर को दिया गया है, अनुबन्धना में दिये गये हैं। उपरोक्त वर्णित इन गांवों में से कोई भी गांव सहकारी चीनी मिल, शाहबाद को नही दिया गया। इसके अतिरिक्त, कालका विधानसभा क्षेत्र के बरवाला खंड का कोई भी गांव सरस्वती चीनी मिल, यमुनानगर अथवा सहकारी बीनी मिल, शाहबाद को नहीं दिया गया है।

ANNEXURE—I

Constituency : Sadhaura

Dera, Hamidpur, Sahpur, Samgrami, Raomajra, Lotta, Bari Rasour, Manakpur, Chhoti Rasour, Nanhera, Panjlasa, Kherki Jattan, Bakarpur, Brahaman Majra, Khanpurlubana, Rajomajra, Barsomajra, Lakhnora, Harbone, Andheri, Mirjapur, Aukhal, Lalpurtapriyan, Tapriyan Rulduki,

Firojpurkhat, Bhukri, Budha Khera, Kalyana, Chandsali, Gramjoli, Nakhnauli, Marakheri, Sahpur, Fethapur, Shankarpura, Nandvvali, Nagla, Surgal, Jhar Sehla, Rayomwala, Derkheri, Hasan pur, Gadhali, Ganauli, Ambli, Dehar, Laharpur, Dumawala, Glori,

Asgarpur, Nijampur, Ratholi, Rajpur, Rasulpur, Milkjawa, Jhanda, Thaska, Premuwala, Jhafarpur, Jhafri, Bamna Bahadur, Mehrrmodpurr, Kalyanpurattari, Tibbr, Sadhura nadipur, Haweli, Bakala, Firojpur, Rampur, Raharipur, Tunda Beg, Sadupur, Sarawan Majri, Kanipla, Rajpur, Pando, Sabhri, Sabahapur, Shampur, Sadhura, Sultanpur; Nasera, Ratuwala, Parbhawali, Mirjapur, Asmilepur, Salempur, Ratauli, Islamnagar, Tewar, Samdhali, Pirwali, Gulapur, Kandaiwala, Nanheri, Todarpur, Bhaliwala, Pipliwala, Uttamwala, Paniwala, Churpur, Nanwali, Nathanpur, Safilpur, Bari Bejawali, Tunada ki tapri, Pilkhanwala, Ranipur, Raulaheri, Milkhra, Manglore, Bansae-wala, Nagli, Singapur, Parbhali, Tahaypur Khurad, Nagalpatti, Machhrauli, Fethagarh Tumbi, Sirmghpura, Bootgarh, Janitgarh, Sanure, Malikraipur, Ramgarhmajra , Pensil, Saravi, Kurali, Ajijpur Kalan, Dalohre, Bhogpur, Manakpur, Chooharwala, Ambheala, Malikpur, Udhamgarh, Navasahar Jagdholi, Kulchandu, Sattori, Pinjori, Pinjora, Meshri, Pabnikalan, Haebatpur, Rasulpur, Shekpura, Kapuri Kalan, Kapuri Khurad, Marwa Kalan, Bhilchappar, Fayuirmajra, Khempura, Munda Khera, Marwa, Khurad, Judha, Jattan, Judha Shekhan, Pabni Khurad , Markhaur, Gyanewala, Khera Brahaman, Kakrauni, Tehi Jattan, Tehi Brahaman, Bilaspur, Bihte, Bhamnauli, Ambwala, Chandu Kheri, Sahpur, Milk Khas, Bheemipur, Mohri, Sandhey, Muzafat, Udhamgarh,

Rampur Hadiyan, Rampur Kamboyan. Chhilare, Alisherpur Majra, Chauli, Ramgarh Suwai, Gharwali, Kathgarh, Rampur Gainda, Ramjitpur, Sultanpur, Dahnaura, Bhagwanpur, Majri, Bhattuwala, Suwabri Majri, Dyalgarh, Bahadurpur, Shergarh, Slempurkhol, Magli Khal, Jaitpur, Mahauldinpur, Jangal Salempur, Pirthipur, Fetapur, Chubutro, Rampur Jattan, Rajpur, Gora Banu, Manikpur, Joggiwara, Lalahrikalan, Khemuwala, Lalahari Khurad, Chintpur, Katarwali, Bankat, Keetrakhas, Raiwala, Aharwala, Malikpur Bangar, Kurawala, Harteli, Chirahi, Dhankot, Rakali, Daryapur, Chhauli, Basatiwala.

Constituency : Naraingarh

Rampur, Govindpur, Deheare, Raipur Rani, Barauna Khurad, Tibbi Majra, Baraukalan, Kheri, Samlehri, Sahjadpur, Haroli, Firojpur, Fethapur, Khera Bhura, Khanpur, Rajputana, Sambhalkha, Pulawala, Laha, Re thwiran, Daunora, Bataura, Dudhli, Husani, Rampur, Mathamajri, Jango majri, Ujjal majri, Fernipur, MugalMajri, Miyanpur, Tapriyan, Tokka, Naraingarh, Khularpur, Milk, Jagatpura, Ahemadpur, Barali, Mirpur, Balopur, Chhatikhari, Nagali, Jhamgumajri, Barrikhari, Basallpur, Bawali, Rataur, Hangola, Haripur, Sarkpur, Tabbar, Mehli, Natwal, Nayagaon, Todda, Kakrali, Jhaspur, Galpura, Behbalpur, Bagwala, Bagwali, Tharwa, Samanwa, Bichpari, Kakarmajra, Bhero, Chhitan, Klalmajri, Bajali, Baragarh, Chhotagarh, Bilaspur, Badi Bassi, Mangolore, Manikpur, Akbarpur, Chhoti Bassi, Ujjal majra, Ramgarh, Sina majra, Baragaon, Mannamajra, Ajanpur, Pinjori, Kurali, Bakhtuwa, Kamjalan, Tharpur, Barondhi, Sadikpur, Tandwal, Bharapura, Sahjadpur, Bapaii, Majri,

Bibipur, Mukandpur, Rasidpur, Dhnana, Bherpur, Khanpur, Tasdali, Tasdala, Dattagarh, Raiwali, Goripur, Kheragani, Singhpura,

Kherajattan, Jathware, Patwi, Chajumajra, Dabkoli, Behloli, Nasdoli, Dehrog, Nagla, Keerwa, Khurd, Babak majra, Rachheri, Kalalmajra, Ganeshpura, Korwa Kalan, Magarpur, Rajpura, Kdasan, Damahli, Bichhli, Nagavon, Damali uppali, Dameli majri, Patheri, Tappri-Sahid, Salola, Tamak Majra, Buraj Sahid, Rajoli, Panjoto, Hamadikhera, Sherpur, Prel, Breri Kalan, Breri Khurad, Badhawali, Chansauli.

Barwala Block of Kalka Constituency

Barwala, Nagal, Jaloli, Kami, Alipura, Sultanpur, Sunderpur, Bhagwanpur, Sangrana, Bharoli, Batari, Khergami, Navagon, .Samtu, Rattuwali, Ganeshpur, Sabilpur, Khelpurwali, Bullopur, Tirlokpur, Arawali, Dingpura, Gajipur, Shamro, Tepla, Khera Jattan, Hatoli, Pihold, Tandera, Batwal, Sukhdarshanpur, Manak tapra, Kot, Kanglora, Jaswantgarh, Toba, Kanoli, Tibbi, Dubkheri, Bunga, Ramgarh, Baramadanpur, Billa, Nagal Mohmand, Mankaya, Motawala, Bhenu, Shampur, Ambrala, Kanderwala, Kayanpura, Parwala, Taprion, Baladwala, Toora, Barwala, Jolla, Gungia, Mohli wala, Chuharpur, Jaipur, Madharwala, Sher, Tikkar, Trather, Darshanpur, Danondi, Bhoj bial, Bhoj Korti, Bhoj Nagal, Bhoj Balaj, Bhoj Kaman, Assewala, Johri wala.

ANNEXURE—II

Sadhaura Constituency

Alisherpur Majra, Bahadurpur, Bankat, Dernauli, Chabutaraon, Chouli, Garhwali, Katarnali, Manglaur, Milkarha, Mugalvali, Muzafat, Nagli, Nathanpur, Pipliwala, Ramgarh, Rampur Rehriyaan, Rampur Kamboyaan, Ranipur, Ranjitpur, Raulaheri, Rampur Jat; Bhagwanpur, Bhathuwala, Bihta, Chhallaur, Dayalgarh; Dhanaura, Garhwali, Gulabmajra, Kathgarh, Chuharpur, Majri No. 374, Sandhey, Shergarh, Sultanpur, Suwabarhi, Todarpur, Udhamgark Basheera, Chaanchak, Kotla, Tyaora, Bansepur, Maka, Baniyowala, Ahmedgarh, Gadhauli; Bajjawali, Haripur, Rampur Genda, Uttamwala, Chharpur, Naiwala, Buddhi, Aharwala, Ajijpur Kalan, Kam**wala,** Bhawanipur, Bheelchhappar, Bilaspur, Bisatoyonwala, Chandakheri, Chaurahi, Chholli, Dariyapur, Dharamkot, Gopalmochan, Hartaul, Kakrauni, Kapurikalan, Kapurikhurd, Khera Bhrahmananan, Kotrakhass, Kurewala, Machhrauli, Malakput Bangar, Mawikalan, Milakpur, Khass, Milkraipur, Miyanpur, Mohari, Mundakhera, Naagal, Raaeyaowala, Ramgarh, Shahpur, Taharpur Khurd, Amli, Asgarpur, Belwala, Bakala, Balamwala, Chamelmajra, Dahar, Dumanwala, Fazalpur, Firozepur Rai, Gadhauli, Gallawarhi, Haneli, Islam Nagar, Islam Ismailpur, Jafarpur, Jamunwala, Jhanda, Kalyanpur (Atari), Kandwala, Kanipla, Kotra (Kotla) Laharpur, Mahmudpur, Maajri, Milk Chhatiya, Mirzapur, Nawanshahar, Nizampur, Paharipur, Pandyaon, Parmauli, Peerwala, Ree-yaonpur, Rajepur, Rampur Rayeean, Rasulpur, Ratauli, Rattuwala, Rathali, Sabhapur, Sadhaura, Sadhaura-Nadipaar, Saidpur, Sadikpur, Salempur, Saalhapur, Shyampur, .Subhri, Sultanpur, Tabari, Tewar, Thaska, Udhamgarh A, Udhamgarh B, Ballewala, Bhogpur, Bootgarh, Jumaiyatgarh, Kurali, Miyanpur, Pensal, Pilkhanwala, Saleebpur, Saaraween,

Sinhpura, Tumbi, Tunde Ki Tappri, Baalti, Bhukheri, Fatehpur, Hasanpur, Jhaarsahela, Nagla Rajput, Nakhrauni, Nandwali, Shakarpura, Sarawaan, Shahpur, Surgal, Ambwala, Chaaharwala, Jaagdhauli, Dhallaur, Maannakapur, Dera, Gyane wala, Haibatpur, Juddajataan, Juddashekhaan, Khera, Phulchand, Maheshwari, Makhaur, Malakpur, Nawanshahar, Pabnikalan, Pabnikhurd, Pinjauri, Rasulpur, Udhamgarh, Marwakhurd, Amli, Belwala, Beerkheri, Bhukheri, .Budhakhera, Fatehpur, Firozepur, Hasanpura, Jauli, Lalpur, Mahuwakheri, Nakhrauli, Nanduwali, Naglarajput, Shahpur, Sugal, Shakarpura, Taprayaon Ruldu.

Naraingarh Constituency

Badhaoli, Bharheri Kalan, Bharheri Khurd Chaansauli.

Construction of Bandhs in Sadhaura Constituency

110. Shri Bhag Mal : Will the Minister for Forests be pleased to state—

(a) the number of Bandhs have been constructed in the villages of Sadhaura constituency to save the plantation and also to provide water to cultivate the land during the years 1986-87 and 1987-88, separately; and

(b) the number of Bandhs, if any, proposed to be constructed during the year 1988-89 togetherwith the number of Bandhs which have been constructed as on 31-12-1988 ?

वन मन्त्री (श्री परमानन्द):

(क) सढौरा निर्वाचन क्षेत्र में, भू एवं जल संरक्षण तथा साथ लगते कृषि योग्य खेतों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 1986–87 के दौरान दो बांध तथा वर्ष 1987–88 के दौरान तीन बांध निर्मित किए गए थे।

(ख) वर्ष 1988–89 के दौरान इस निर्वाचन क्षेत्र में तीन बांध निर्मित किए जाने प्रस्तावित हैं तथा ये अभी निर्माणाधीन हैं।

Primary Schools in Villages

111. Shri Bhag Mal : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the number of villages where Branch Primary Schools are functioning in Sadhaura Constituency of district Ambala as per on 31-12-88.

(b) the number of villages where no Govt. Primary Schools or Branch Primary Schools exist in Sadhaura Constituency ; and

(c) the number of villages where the status of Branch Primary Schools have been upgraded to Government Primary Schools in Sadhaura Constituency upto 31-12-88 ?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्रीमती' सुषमा स्वराज):

(क) दिनांक 31– 12–88 अनुसार सढौरा विधानसभा क्षेत्र के 12 गांवों में ब्रांच प्राथमिक स्कूल हैं। (सूची–1)

(ख) सढौरा विधानसभा क्षेव के 238 गांवों में से 74 गांवों में कोई प्राथमिक विद्यालय अथवा शाखा प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं (सूची–2)

(ग) सढौरा विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 31– 12–88 तक किसी भी ब्रांच प्राथमिक स्कूल को स्तरोन्नत करके पूर्ण राजकीय प्राथमिक स्कूल नहीं बनाया गया।

STATEMENT I

List of Branch Primary Schools in villages of Sadhaura Assembly Constituency

Sr. No.	Name of the Branch Primary Schools
1.	Jaitpur
2.	Katerwali
3.	Burbaja wali
4.	Bakarpur
5.	Surgal
6.	Kanipala
7.	Burj Jamanwala
8.	Kurali
9.	Butgarh
10.	Udhamgarh

11. Khanubala

12. Pinjori

STATEMENT II

List of School-less villages of Sadhaura Assembly Constituency

Name of the School-less villages

1 Rao Majra

2. Man ak Pur

3. Asgar

4. Milk Jhablian

5. Jafarpur Jafri

6. Tewar

7. Gullanpur

8. Kandaiwala

9. Nanheri

10. Bholiwala

11. Naya Gaon

12. Chand Chak

13. Uttamwala

14. Paniwala

15. Chuharpur
16. Naiwala
17. Nathanpur
18. Rampur
19. Gainda
20. Ranjitpur
21. Sultanpur
22. Bhagwanpur
23. Majri Bhutwala
24. Sabawari
25. Sundar
26. Bahadurpur
27. Sher Garh
28. Chabutari
29. Gohrabani
30. Nankat
31. kamgarh Sawari
32. Gadhwali
33. Kapuri Khurd
34. Raladeri

35. Milkhara
36. Dande Ki Taprian
37. Salimpur
38. Garhi Biran
39. Bana Bahadurpur
40. Tibri
41. Chakamjudat
42. Doomawala
43. Rajju Majra
44. Okhal
45. Nanduwali
46. Jharsehla
47. Arainwala
48. Tundabang
49. Kundewala
50. Hartaul
51. Bhawanipur
52. Prabhawali
53. Naharpur Khurd
54. Baneswala

55. Sabhri
56. Saravi
57. Amb Wala
58. Pencel
59. Singh Pura
60. Jamitgarh
61. Malik Raipur
62. Sanaur
63. Pilkhanwala
64. Rampttr Kaniboyan
65. Nagli
66. Mujafat
67. Laihari Khurd
68. Chitpur
69. Phakir Majra
70. Kaimpur
71. Munda Khera
72. Ambawala
73. Rukali
74. Tehi Jatan

Amount Received from Aluminium Pipes of Sprinklers

116. Shri Hira Nand Arya : Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state thc total amount of Sales Tax realized on the pipes of Aluminium of the Sprinkler sets during the last three years upto-date ycarwise separately ?

आबकारी व कराधान मंत्री (राव राम नारायण): स्परिकलर सैटस की ऐल्यूमिनियम पाईपस पर अलग से कोई बिक्री कर प्राप्त नहीं हुआ।

Irregularities Committed during Rainfall Test of Sprinkler

Equipments

120. Shri Hira Nand Arya : Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether any test has been conducted on the sprinkler sets to find out the uniformity of rainfall during the year 1988-89; if so, the result thereof; and

(b) whether any complaint has been received by the Govt. in regard to the irregularities committed in the aforesaid test; if so, the action taken thereon ?

कृषि मन्त्री (श्री तैयब हुसैन):

(क) हां, श्री मान जी दिनांक 24— 10—88 को फुव्वारा सिंचाई संयत्रों की रेनफाल की समानता नापने के लिये 8

अनुमोदित फर्मों का परीक्षण हुआ था। इस परीक्षण में आयसिस इरीगेशन लिमिटिड का रेनफाल की समानता का परीक्षण 80 प्रतिशत से कम पाया गया जवकि अन्य ममी फर्मों का परीक्षण इच्छित स्टैण्डर्ड के अनुसार था।

(ख) हां, श्री मान जी इस विषय में श्री हीरानन्द आर्य, विधायक की ओर से नवम्बर, 1988 में दिनांक 24– 10–1988 को लिये गये परीक्षण में की गई अनियमितताओं बारे आरोप लगाये थे। लगाये गये आरोपों बारे बिन्दूवार उचित स्थिति निम्न प्रकार से है :–

	आरोप	**टिप्पणी**
1.	जो फुव्वारे प्रदर्शित किये गये थे, वह वैसे नहीं थे जो कि कृषकों को दिये जाते हैं और इसका सत्यापन कृषकों द्वारा प्रयोग किये जा रहैं संयंत्रों से किया जा सकता है।	फुव्वारों की कार्यक्षमता का परीक्षण रेनफाल की समानता देखने के लिए किया गया था। और उसी नाम के फुव्वारे जो कि राज्य के कृषक प्रयोग में लाते हैं (13"/64 X 1"/8) का ही परीक्षण किया गया था। अतः यह कहना उचित नहीं है कि वे संयत्र प्रदर्शित नहीं किये जो कि कृषकों को दिये जाते हैं।

2.	तीन चार फर्मो का समानता परीक्षण आधी रात के समय पुनः किया गया। शायद यह पहले परीक्षण में असफल हो गई थीं। पुनरू परीक्षण 10. 00 बजे के बाद में किये गये और यह आश्चर्य की बात है कि वे सभी फर्मे जो कि दिन के समय असफल हो गई थीं, बाद में देर रात्रि में सफल कर दी गई।	परीक्षण में भाग लेने वाली सभी फर्मो के प्रतिनिधियों को परीक्षण बारे आवश्यक कार्यप्रणाली समझाने के बाद वास्तविक परीक्षण 12.30 बजे दोपहर को आरम्भ किया गया। फर्मों के संयंत्र परीक्षण वर्णानुसार लिये गये। इस परीक्षण हैंतु वायु की गति 3 किलो– मीटर प्रति घण्टा या कम, ठीक मानी जाती है। परन्तु वायु की गति 3 किलो–मीटर प्रति घण्टा से सायं 4. 30 बजे तक अधिक रही और बाद, में 3 किलोमीटर प्रति घण्टा तक आ गई। जिन फर्मों के परीक्षण 4.30 बजे से पूर्व किये गये थे उस समय वायु की गति 3 किलोमीटर प्रति घण्टा से अधिक थी। उन्होंने यह प्रार्थना की कि उनके संयन्त्रों का भी परीक्षण उस समय किया जाए जब वायु की. गति निर्धारित नार्म

		के अनुसार हो। यह निश्चय किया गया कि पहले सभी 8 फर्मों का परीक्षण पूरा कर लिया जाए और बाद में 4 फर्मों का जिनका परीक्षण 4.30 बजे से पूर्व किया गया था पुनः परीक्षण कर लिया जाए। अतः 4 फर्मों का क्रमशरू मैसर्ज हरियाणा इरीगेशन इक्यूपमैन्ट लि०, हारवल इरिगेशन लि०, जिन्दल एल्यूमिनियम लि० और जिन्दल इरिगेशन लि० के पुनः परीक्षण लगभग 8.30 बजे के बाद किये गये। अतः पुनः किया गया परीक्षण सही नीयत से सभी फर्मों को एक जैसा अवसर देने के लिए. था। परन्तु पुनः परीक्षण उपरान्त भी मैसर्ज आयसिस इरिगेशन लि० को फुव्बारे समान परीक्षण में इच्छित 80 प्रतिशत से कम रहैं।

3	परीक्षण के आकड़े न तो किसी को बताये गये और न ही किसी को लेने दिये गये।	यह परीक्षण सभी 8 'फर्मों के प्रतिनिधियों, कृषि विभाग के अधिकारियों तथा दर्जनों कृषकों की उपस्थिति में किया गया था। इस परीक्षण से सम्बन्धित नियम एवं इसकी कार्यप्रणाली सभी 8 फर्मों के प्रतिनिधियों को समझा दी गई थी तथा उन्होंने इससे सहमति व्यक्त की थी। सभी फर्मों के प्रतिनिधियों ने कई प्रकार के परीक्षण के आकड़े लिए थे और किसी को भी कोई आकड़ा लिखने एवं देखने से नहीं रोका गया।
4	यह परीक्षण समान अवस्था में किया जाना था परन्तु पानी का निकास आधे घण्टे के परीक्षण में 3000 से 4400 लीटर तक रहा। इससे यह स्पष्ट है कि भिन्न–भिन्न परीक्षणों में	सारे परीक्षण के दौरान निकास एवं दबाव की समानता रखी गई और सभी फर्मों के फुव्वारे एक ही संयन्त्र पर परीक्षित किये गये।

	भिन्न– भिन्न दबाव रहा।	
5.	यह परीक्षण नबार्ड एवं कृषि द्वारा अनुमोदित दबाव और निकास की कसौटी के अनुसार नहीं किया गया। हरियाणा में फुव्वारो की नोजलें 9 गैलन प्रति मिनट के निकास एवं 40 पौंड प्रति वर्ग इंच की दी जाती है, परन्तु इस परीक्षण में मर्जी से 6– 7 गैलन प्रति मिनट का निकास, 32 पौंड प्रति वर्ग इंच पर रखा गया। इससे इस टैस्ट को लेने वाली समिति के दुराचरण से उनकी अण्डर हैण्ड डील स्पष्ट होती है।	नबार्ड ने इस परीक्षण के लिए कोई कसौटी निर्धारित नहीं की है। वह तो केवल कीमत को आकने के लिए सामान्य मार्ग दर्शन निर्धारित करते हैं। इस परीक्षण में 4 नोजलों पर 36 गैलन प्रति मिनट का निकास 32 पौंड प्रति वर्ग इंच दबाव पर जो कि आमतौर से क्षेत्र में पाया जाता है, लिया गया। इस राज्य में कृषक 40 पौंड प्रति वर्ग इंच का दबाव जो कि बूस्टर पम्प लगाने से ही मिलता है, नहीं रखते हैं। इसलिए इस समिति ने दुराचरण या कोई अण्डर हैण्ड डील नहीं की।
6	लेटरल पाईपों के फासले के लिए नबार्ड तथा फर्मों द्वारा दिये गये कार्यक्षमता	नोजलों और लेटरल में 40' x 40' का फासला रखा गया क्योंकि सभी कृषक इसी फासले

	चार्टों के अनुसार यह 60' x 40' है। परन्तु यह परीक्षण 40' x 40' के फासले पर किया गया। फासले का यह अन्तर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 40' x 40' के फासले पर सिंचाई में 60' x 40' के फासले के मुकाबले में 33 प्रतिशत अधिक समय लगता है?। अतः यह परीक्षण 60' x 40' के फासले पर किया जाना चाहिये था।	को प्रयोग से ला रहैं हैं।
7.	मैसर्ज हारवैल इरिगेशन के फुव्वारा सिस्टम में एच०डी०पी०ई० पाईपों का प्रयोग होता है। परन्तु इस फर्म को लाभ देने के उद्देश्य से इनका परीक्षण एल्यूमिनियम पाईपों पर, किया गया, क्योंकि इस	यह परीक्षण केवल फुव्वारों के नोजल परीक्षण के लिए किया गया था न की एच०डी०पी०ई० प्रणाली के लिए।

	फर्म की पाईप और कपलर फुव्वारों के दबाव को वहन नहीं कर सकते थे।	

Damage caused due to Floods

112. Shri Harnam Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state the extent of damage in term of rupees caused to the crops, tubewells. houses, canals, roads, bandhs etc. by the floods in river Ghaggar, Markanda, Tangri and Yamuna during the period from 1-7-1988 to 31-10-1988?

राजस्व मन्त्री (श्री सूरज भान): घग्गर, मारकण्डा, टाँगरी तथा यमुना नदियों में बाद के कारण तथा भारी वर्षा होने–कें फलस्वरूप राज्य में लगभग 23.00 करोड़ रुपये की क्षति हुई, जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है:–

(रुपए करोड़ों में)

1.	फसलों को नुकसान	308.14
2.	सिंचाई (कटाव व दरारें)	26.41
3	सड्कों को नुकसान	17.96
4.	जन–स्वास्थ्य कार्यों को नुकसान	0.63
5.	शहरों में सड्कों को नुकसान	2.98

6.	वाटर कोसिल को नुकसान	4.05
7.	ट्रांसफार्मरज इत्यादि को नुकसान	7.04
8.	वन्य पोधाशाला को नुकसान	0.61
9.	मकानों को नुकसान	50.71
10.	नलकूपों को नुकसान	4.49
	कुल	423.00

Utilization of Water of various Rivers

113 Shri Harnam Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the yuantum of water flown in Ghaggar, Markanda, Tangri, Jodha, Sarswati, Chauntang, Rakshi Pathrala, Som and Sahibi rivers during the period from 1-7-88 to 31-12-88; togetherwith the yuantum of water utilized out of it for irrigation purposes ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): सूचना इकट्ठी करने में जो समय और परिश्रम लगेगा उससे सम्भावित लाभ की प्रप्ति नहीं होगी।

Old Age Pension

114 Shri Durga Datt and Shri Harnam Singh : Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state—

(a) the districtwise number of persons given old age pension during the period from 1-3-88 to 31-12-88

togetherwith the total amount of pension given to them; and

(b) the number of applications for the grant of old age pension lying pending at present togetherwith the annual expenditure likely to be incurred therefor ?

जेल राज्य मन्त्री (श्री नर सिंह ढाण्डा):

(क) वृद्धावस्था पैशन योजना के अन्तर्गत 13.88 से 31. 10.88 तक की पैशन की अदायगी की जा चुकी है। जिलावार जिन व्यक्तियों को वृद्धावस्था पैंशन दी जा चुकी है उनकी संख्या तथा दी गई पैंशन राशि निम्न प्रकार है –

क्रमांक	जिले का नाम	लाभपात्रों की संख्याः जिन्हैं पैशन दी गई।	पैशन की राशि
1.	अम्बाला	83,762	8,12,80,286
2.	भिवानी	50,684	5,47,41,810
3.	फरीदाबाद	47,462	5,02,09,637
4.	गुडगावां	49,592	5,04,49,139
5.	हिसार	82,311	8,72,83,356
6.	जीन्द	46,833	4,86,80,883

7.	करनाल	67,688	6,57,49,190
8.	कुरुक्षेत्र	57,796	5,89,65,326
9.	नारनौल	56,869	5,73,56,885
10.	रोहतक	71,165	7,48,72,522
11.	सोनीपत	45,668	5,07,58,680
12.	सिरसा	36,928	3,89,03,580
	कुल	6,96,758	71,92,51,294

जिला स्तरीय समितियों के पास निर्णय हैंतु 3,669 आवेदन–पत्र लम्बित हैं और 3,691 नये आवेदन–पत्न स्टैंडिंग समिति के पास निर्णय हैंतु लम्बित हैं। इन आवेदकों को पैशन स्वीकृति पर अतिंरिक्त वार्षिक खर्च 92. 73 लाख रुपये होने की सम्भावना

Adult Education Centres

115. Shri Durga Datt Attri : Will the Minister for Education be pleased to state the district-wise number of. Adult Education Centres as on 31-1-89 in the State togetherwith the details of officers/officials working therein ?

खाद्य तथा पूर्ति मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): प्रौढ़ शिवा केन्द्रों की जिलावार संख्या और उन में कार्यरत

अधिकारियों / कर्मचारियों का विवरण 31– 12– 1988 की स्थिति अनुसार निम्नलिखित है:–

क्रमांक	जिले का नाम	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या		अनुदेशकों की संख्या	पर्यवेक्षकों की संख्या	सहायक परियोजना	परियोजना अधिकारी	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी
		स्वीकृत	चालू					
1.	अम्बाला	300	230	230	10	1	1	1
2.	भिवानी	600	523	523	20	2	2	1
3.	फरीदाबाद	600	514	514	20	2	2	1
4.	गुडगावां	300	247	247	10	1	1	1
5.	हिसार	600.	585	565	20	2	2	1
6.	जीन्द	900	757	757	30	3	3	1
7.	करनाल	300	270	270	10	1	1	
8.	कुरुक्षेत्र	600	52/	527	20	2	2	1
9.	महैंन्द्रगढ़	€00	493	493	.20	2	2	1
10.	रोहतक	300	295	295	10	1	1	1

11.	सोनीपत	400	371	371	13	1	1	1
12.	सिरसा	600	575	575	20	2	2	
	कुल	6100	5367	5367	203	20	20	12

Cooperative Printing Press

117. Shri Shiv Lal : Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state the existing capacity of Karnal Cooperative Printing Press and Haryana Cooperative Union Printing Press as on 31st January, 1989- togetherwith the losses suffered, if any, during the last three years upto 31st January, 1989 by the above said Presses, separately ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (डॉ० रघुबीर सिंह):

मुद्रण क्षमता:

(1) करनाल सहकारी प्रिंटिंग प्रैस:–

मशीन	संख्या	प्रति घंटा प्रति कुल दाब	मशीन दाब प्रति घंटा
ट्रेडल मशीन	6	1000	6000

(2) हरियाणा सहकारी प्रैस –

मशीन	संख्या	प्रति घंटा प्रति	मशीन दाब प्रति

		कुल दाब	घंटा
स्वचालित मशीन	2	2500	5000
ट्रेडल मशीन	2	1000	2000

पिछले तीन वर्षा में हानि

(रु० में)

प्रैस का नाम हानि

	प्रैस का नाम	हानि		
		1985–86	1986–87	1987–88
1.	करनाल सहकारी प्रिंटिंग प्रैस	शून्य	शून्य	शून्य
2.	हरियाणा सहकारी प्रैस	शून्य	शून्य	शून्य

वर्ष 1988–89 के अन्तिम आकड़े सहकारी वर्ष की समाप्ति अर्थात 31–3–89 के बाद उपलब्ध होंगे। 31– 1–89 तक प्रैस हानि में नहीं है।

Suspension/Termination of Ad-hoc Employees in Haryana Cooperative Consumers Federation

118. Shri Shiv Lal : Will the Minister of State for

Cooperation be pleased to state—

(a) the district-wise number of persons appointed on ad-hoc basis and on daily wages in the Haryana Cooperative Consumer Federation during the year 1987-88; and

(b) whether the services of the persons, out of those referred to in part (a) above, have been terminated/suspended; if so, the number thereof, separately ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (डॉ० रघुवीर सिंह):

(क) विवरण (अनुलग्नक 'ए') सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) विवरण (अनुलग्नक 'बी') सदन के पटल पर रखा जाता है।

अनुलग्नक 'ए '

हरियाणा सहकारी उपभोक्ता प्रसव में वर्ष 1987–88 मे तदर्थ तथा दैनिक वेतन पर लगे व्यक्तियों की जिलावार सूचना –

क्र० सं०	जिले का नाम	तदर्थ	दैनिक वेतन	कुल
1.	अम्बाला	5	3	8
2.	भिवानी	13	1	14

3.	फरीदाबाद	1		1
4.	गुडगावां			2
5.	हिसार	16	1	17
6.	जीन्द	5	1	6
7.	करनाल	1		1
8.	कुरुक्षेत्र	1		1
9.	महैंन्द्रगढ़	3		3
10.	रोहतक	50	3	53
11.	सोनीपत	3		3
12.	सिरसा	88	4	92
13.	अन्य	3		5
	कुल	189	17	206

अमुलानक 'बी'

जितने व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त/निलम्बित कर दी गई हैं–

क्र० सं०	जिले का नाम	सेवा समाप्त			निलम्बित
		तदर्थ	दैनिक वेतन	कुल	
1.	अम्बाला	1		1	
2.	भिवानी	7		7	
3.	फरीदाबाद	1		1	
4.	गुडगावां				
5.	हिसार	1		1	
6.	जीन्द	1		1	
7.	करनाल				
8.	कुरुक्षेत्र				
9.	महैंन्द्रगढ़	1		1	
10.	रोहतक	3		3	
11.	सोनीपत				
12.	सिरसा	23		23	

13.	अन्य	1		1	
	कुल	39		39	

Number of Conductors and Drivers in Haryana Roadways

119. Shri Shiv Lal : Will the Minister. of State for Transport be pleased to state—

(a) the category-wise number of persons recruited in the Transport Department/Haryana Roadways Workshops during the year 1987-88, separately;

(b) the total number of employees, out of those as referred to in part (a) above whose services were terminated during the year 1987-88 togetherwith the number of those employees belonging to Scheduled Castes and Backward Classess; and

(c) the total number of employees who have completed 240 days service upto January, 1989.

Interim Reply

"**DHARAMBIR**

D.O. No. 5/11/89-3

Minister of State

for Transport, Haryana,

Chandigarh.

Dated : 23 फरवरी, 1989

विषय – विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 119 जो श्री शिव लालू, एम० एल० ए० द्वारा पूछा गया है, के बारे सूचना उपलब्ध करने सम्बन्धी।

प्रियं

मै आप को सूचित करता हूं कि अतारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 119 जो श्री शिव लाल, विधायक द्वारा पूछा गया है, उत्तर देने के लिए हरियाणा विधानसभा अधिवेशन में दिनांक 27–2– 1989 को देय है, किन्तु इस प्रश्न का उत्तर देने सम्बन्धी जो सूचना वांछित है, वह परिवहन आयुक्त/महाप्रबन्धकों से प्रतीक्षित है, जिसके एकत्रित करने में समय लगेगा। अतः इस प्रश्न का उत्तर दिनांक 27– 2–1989 को देना सम्भव न होगा। इन परिस्थितियों में, मैं आपका आभारी हूंगा यदि आप इस प्रश्न का उत्तर तैयार करने हैंतु कम से कम 20 दिन की बढ़ौतरी दे देंगे।

सादर

आपका

(धर्मवीर)

श्री एच० एस० चट्ठा

अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा

चण्डीगढ़।''

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

15.00 बजे।

सेठ लछमन दास बजाजः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी बात अपने बारे में फार्म 38 के मुताल्लिक करना चाहता हू। (व्यवधान व शोर)

Mr. Speaker : Please take your seat.

श्री मंगल सैनः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा कि इस सदन में हम रूल्ज के तहत बिजनैस में हिस्सा लेते हैं। इन रूल्ज के अन्तर्गत एक रूल 63 है। कोई मैम्बर यदि अपनी बात कहना चाहैं या स्पष्टीकरण देना चाहैं तो वह इस रूल के तहत दे सकता है।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, मैंने इन को यह कहा है कि अभी आप बैठो। मैं इन्हैं बाद में सुनूंगा।

श्री रत्न लाल कटारियाः स्पीकर साहब, मेरा एक काल अटैंशन मोशन था कि किसानों का लाखों एकड में आलू खराब हो रहा है।

Mr. Speaker : Kataria ji, I have received it and that is under consideration.

Shri Raghu Yadav : Sir, may I refer to rule 63 of

the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly?

मैंने आप की सेवा में एक नोटिस दिया है।

Mr. Speaker : Yadav ji, I have received it and rejected the same.

श्री रघु यादवः आपके आदेश से मैं बाहर गया था।

Mr. Speaker : Yadav ji, you may please read the book 'Practice & Procedure of Parliament by Kaul & Shakdher, wherein it is written that after the statement/explanation of the Minister, you cannot speak on that.

श्री कैलाश चंद शर्माः सर, मेरा एक प्रिविलेज मोशन था जो एस० एच० ओ० के बारे में था। उसका क्या बना है?

Mr. Speaker : That is under consideration.

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक बताया है कि मन्त्री महोदय, की स्टेटमेंट आने के बाद कोई उस बारे में बहस नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई मन्त्री यहां पर हाउस में स्टेटमैंट देते वक्त काउन्टर ऐलीगेशन्ज लगाये तो क्या वह सदस्य कुछ भी नहीं कह सकता?

Mr. Speaker : Arya ji, do not refer to that matter now. (Interreuptions.)

श्री हीरा नन्द आर्यः सर, वह पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन तो दे सकता है। (शोर)

Mr. Speaker : AryaI would not allow him to speak on that (Noises & Irmterruptions.). No, No. I would not allow as the notice has been rejected. Let us proceed further.

सेठ लछमन दास बजाजः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, फार्म 38 के मुताल्लिक जब बातचीत हो रही थी, उस मीटिंग के अन्दर मैं भी मौजूद था। यूक व्यापारी होने के नाते मैंने उस मीटिंग के अन्दर उस फार्म का विरोध किया था। मैंने उसके मुताल्लिक यह स्पष्ट तौर पर कहा था कि चूंकि यह व्यापारियों को मुश्किलात पेश करता है इसलिये यह फार्म नहीं होना चाहिये। आज भी मैं मंत्री महोदय से इस हाउस के द्वारा यही रिक्वैस्ट करता हूं कि यत् फार्म 38 नहीं होना चाहिये। इसको समाप्त किया जाये, मैं आपसे एक बार फिर यही रिक्वैस्ट करता हूं।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, बजाज साहब ऐडवाइजरी कमेटी वे मैम्बर हैं। उस कमेटी में क्या डैलीब्रेशन्ज हुईं, और उन डैलीब्रेशन्ज में उनका क्या पार्ट था, यह बताना अच्छा नहीं लगता। इनको यह डिस्क्लोज नही करना चाहिये था कि इनका क्या पार्ट था, दूसरों का क्या पार्ट था, किसने विरोध किया और किसने स्पोर्ट किया। He should not have disclosed it here.

श्री अध्यक्षः यह तो आप डाक्टर साहब से पूछिये।

श्री वीरेन्द्र सिंहः हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय ने बड़े साफ तौर पर यह कहा है कि ऐडवाईजरी कमेटी ने उसको

बारीकी से देखा और उसके बाद बाबू मूल चन्द जैन जी को यह कहा कि आप इसको टौड बेयर देखें। अपनी तरफ से इन्होंने यह कहा किं Form 38 is a must इसलिए इस प्रकार की बात हाउस में नही आनी चाहिये थी। बिल

दि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल 1989

श्री अध्यक्ष: अब ऐग्रौकल्चर मिनिस्टर दि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल 1989 को कंसीडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे।

कृषि मंत्री (श्री तैयब हुसैन): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि पंजाब कृषि उपज मन्त्री (हरियाणा संशोधन) बिधेयक पर तुरन्त विचार किया पाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, मैं आपकी आज्ञा से चौधरी तैयब हुसैन जी को बधाई देना चाहता हूं। वे बहुत बड़े बाप के बहुत बडे बेटे हैं। तैयब हुसैन जी के वालिद साहब के साथ मुझे पंजाब की असैम्बली में बैठने का मौका मिला है। वे बहुत ही रोशन दिमाग और बड़े ही दूर–अन्देश व्यक्ति थे

(व्यवधान व शोर) एक बड़ी भारी कठिनाई की ओर इनका ध्यान गया है। उस कठिनाई को अब यह दूर करने चले हैं। ऐग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड में बहुत पैसा है और कई कर्मचारी तो ऐसे भले है जिन्होने दुकानों की अलौटमैंट में काफी हाथ रंगे हैं। मैं इस समय इस बारे में बात नहीं करना चाहता, फिर करूंगा। अध्यक्ष महोदय, देहात के लोग मंडियों में अपनी उपज लाते हैं और इस कारण वे सडको का इस्तेमाल करते हैं। आने जाने से पी० डब्ल्यू० डी० और म्यूनिसिपल कमेटीज की सड़कें टूट जाती हैं और उनके टूटने से आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। मेरे साथी श्री भारद्वाज जी मेरी बात की ताईद कर रहैं हैं। चौधरी तैयब हुसैन ने बहुत अच्छा किया कि सड्कों को ठीक करने के लिए पैसा प्रोवाइड कर दिया और जेब यह ऐसा सड्कों की मरम्मत पर लगेगा। अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन बिल के माध्यम से नगरपालिकाओं को सम्भालने वाले बढ़ाना साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि सड्कों का शहरों में भी बहुत बुरा हाल है। चौधरी देवी लाल जी जिस जिले से एम० एल० ए० आते हैं और जहां से मैं पिछले तीस साल से एम० एल० ए० आ रहा हूं वहां पर सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है। नगरपालिका से जब पूछते हैं तो कल जाता है कि हमारे पास पैसा नही है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि नगरपालिकाओं की सड़कें जहां जहां किसान इस्तेमाल करते हैं उन्हैं रिपेयर करवाना चाहिए और जहाँ पर किसानों को आने जाने के लिए सड़क की सुविधा नहीं हैं उन सरको को मार्किटिंग बोर्ड को बनाना चाहिए। सरकार का यह बहुत ही अच्छा

फैसला है। इसी तरह से नगरपालिकाओं के मन्त्री महोदय से कहना चाहता हू कि वे खुले दिल से नगरपालिकाओं को अनुदान दें जिससे सड़कें बनाई जाएं वरना लोग कहैंगे कि सत्ता में तो भेज दिया लेकिन काम नहीं किया। सीकर साहब, आजकल बड़े–बड़े जलसे हो रहैं हैं। कल आपके जिले में भी एक जलसा हुआ है और मेरे रोहतक जिले में भी एक जलसा हुआ है। लोग बड़ी–बड़ी बातें कर रहैं हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बातें कुर्सी के काटे हुए लोग ही करते हैं। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि यहं बड़ा अच्छा कदम उठाया गया है। इसके लिए मैं तैयब हुसैन जी को एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं। नगरपालिकाओं की सड्कों के बारे मैं श्री भारद्वाज जी से कहना चाहता हूं कि वे भी कुछ पैसा ले लें और उन सड्कों की मरम्मत कराएं। मैं ज्यादा न कहता हुआ इस संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपना स्थान लेता हूं।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री महोदय ने जो यह संशोधन प्रस्ताव रखा है इसका समर्थन क्रने के लिए मैं खड़ा हुआ हू। वास्तव में इसकी इसलिए जरूरत पड़ गई कि किसान लोग अपना अनाज मंडी में लाते हैं और उनके आने जाने के कारण सडकें टूट जाती हैं लेकिन उनकी मरम्मत नही हो पा रही थी। पहले मार्किटिंग कमेटीज का 40– 45 प्रतिशत पैसा पी० डब्ल्यू० डी० को सड़क बनाने के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता था लेकिन किसी कारणवश वह मामलो अदालत में चला गया

और फिर सुप्रीम कोर्ट मैं गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यह पैसा सड्कों पर खर्च करना गैर–कानूनी है। अदालत का फैसला भी ठीक हो सकता हैं क्योंकि ऐक्सप्लेनेशन में कुछ कमी रहैं गई होगी। अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए सड़क की सुविधा होना जरूरी है। मार्किटिंग बोर्ड के पास पैसा जमा हो रहा था और वह इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अब जो फैसला किया गया है वह ठीक है क्योंकि पिछली बरसात में काफी सड़कें टूट गई थीं और टूटी. सड्कों के कारण किसान को काफी परेशानी होती थी। स्पीकर साहब, लोहारू में एक डिघावा मण्डी है जहाँ पी० डब्ल्यू० डी० (बी० एण्ड आर०) की सडक बनी हुई है। मण्डी के दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं। मार्किट कमेर्टी या मार्किटिंग बोर्ड तो यह कहता है कि यह सड़क पी० डब्ल्यू० डी० (बी० एण्ड आर०) की है इसलिए हम पैसा खर्च नहीं कर सकते। पीं डक्यू० डी० (बी० एण्ड आर०) कहता है कि यहां मण्डी बनी हुई है इसलिये यहां पैसा मण्डी खर्च करेगी। परिणाम यह है कि आज लोहारू–भिवानी सड़क पर आने जाने वालों का गुजरना मुश्किल है, मुश्किल हुआ पड़ा है और दूसरा कोई रास्ता आने जाने बालां नही है। इस तरह से सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिये ताकि सही ओर समय पर इन बातों का समाधान निकाला जा सके। इससे आगे अध्यक्ष महोदय, मैं एक और आवश्यक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सड़कें टूटी फूटी होने के कारण जो आने जाने का रास्ता था वह खराब था और लोग दूसरे रास्ते से मंडी में आते थे। इस तरह जो पहले टैक्स इवेजन होता

था वह अभी भी पूरी तरह से रूक नही पाया है। जो लोग इधर उधर के रास्ते से मंडियों में आते थे, वे टैक्स की चोरी करते थे। इसलिये ईस तरह का कोई समाधान ढूंढा जाए ताकि टैक्स इवेजन न होने पाए। मंडियों के सुधार में, मार्किट कमेटियों के एरिया में इस तरह के प्रयास किए जाएं ताकि टैक्स इवेजन न हो जिससे सरकार को फायदा हो। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हू कि पिछले दिनों जब कहत पड़ा था तो पशुओं को जिन्दा रखने के लिऐ सरकार ने फौडर पर से टैक्स माफ कर दिया था। हैफेड के चारे पर से भी टैक्स माफ कर दिया था लेकिन पता नहीं किन कारणों से यह बात सरकार के नोटिस में नहीं आई कि जो असल पशुओं का चारा था, जो कड्वी थी, वह मुख्य रूप से पशुओं का चारा है चाहैं वह बाजरे की हो, या तूडी हो, उस पर टैक्स माफ नहीं किया जिससे निचले तबके' के किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि छोटे तबके के किसान उसी के आधार पर अपने पशुओंका गुजारा करते हैं। मार्किटिंग बोर्ड तीन चार परसैन्ट टैक्स ले तो यह अच्छी बात नहीं है। पिछले दिनों कुछ लोग इस सम्बध में मंदी जी से मिले भी थे और शायद उन्होंने मंत्री महोदय को इस से सम्बन्धित एक मैमोरैन्डम भी दिया था, आशा है कि उनको मिल गया होगा 1 इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि ये पशु चारा में, कड्वी भी शामिल करें जो कि पशुओं का मुख्य रूप से चारा है और उस पर से भी टैक्स माफ करें जैसे कि हैफेड के चारे पर माफ कर रखा है। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि जो सुझाव मैंने दिये हैं,

आदरणीय मन्त्री महोदय उन पर अवश्य ध्यान दें। मैं इस बढ़िया अमैन्डमैंट पेश करने के लिये अन्त में एक बार फिर अपने मुख्य मन्त्री महोदय व मन्त्री महोदय का धन्यवाद करता हुआ इसका अनुमोदन करता हूं।

श्री रतन लाल कटारिया (रादौर, अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, आदरणीय कृषि मन्त्री, श्री तैयब हुसैन जी यह जो अमैंडमैंट यहां पर लाये है, इसके लिये मैं उनको हार्दिक बधाई देता हू क्योंकि जो गांव के अन्दर सड्कों की हालत टूटी फूटी थी जिसकी जिम्मेवारी मार्किट कमेटियों के०पर आती थी, अब उन सड्कों के निर्माण का कार्य इस अमैंडमैंट के पास होने के बाद अवश्य होगा। जैसा कि आर्य साहब ने अभी बताया कि टूटी फूटी सड्कों के बारे में जब हम पी० डब्ल्यू० डी० वालों सै पूछते हैं तो वे नगरपालिका के बारे में कह देते हैं और नगरपालिका से पूछते हैं तो वे इसकी जिम्मेवारी पी० डब्ल्यू० डी० वालों के०पर डाल देते हैं लेकिन अब इस अमैंडमैंट के आने सै, आज जो गांवों की सड्कों की हालत खराब है और जिसके कारण से जमीदारों को अपनी फसल लाने में काफी दिक्कतों का सामना मारना पड़ता था और उनको काफी नुकसान भी होता था, वह सुधरेगी। अब एक ऐसा मौका मिला है जिसके द्वारा गांवों की सड़कों की मुरम्मत वगैरह होगी और उनमें काफी सुधार लाया जायेगा। मैं इस महान् सदन के नेता व मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि इस लोकप्रिय सरकार ने अभी अभी जो मार्किट कमेटियां बनाई हैं और

उनके चेयरमैन बनाये हैं व गदाधिकारियों की नियुक्तियां भी की हैं यह बहुत अच्छी बात है लेकिन उनके पास पैसा खर्च करने की पावर्ज बहुत कम दी गई है। जब हमारी आपसी मीटिंगें होती हैं और हम उन से बातचीत करते हैं तो वे कहते हैं कि हमारें पास कोई ऐसी पावर्ज नहीं है जिसके तहत हम ज्यादा पैसा ' खर्च कर सकें। केवल हमारे पास 100 – 200 रुपया खर्च करने की ताकत है। हम् कहते हैं कि आप तो चेयरमैन हैं तो वे कहते हैं कि हमारी तो सेक्रेटरी ही नहीं चलने देता। हम तो उसके मोहताज हैं। इसलिये मेरी अपनी लोकप्रिय सरकार से यह प्रार्थना है कि इस सरकार ने जहां कमेटीज के चेयरमैन बनाये हैं, मैम्बर्ज बनाये हैं, उनको राय को प्राथमिकता दी जाए और उन्हैं कम से कम 50 हजार रुपया सड़कों की मुरम्मत पर खर्च करने के अधिकार प्रदान किये जाएं ताकि जो गांवो की खराब सड़कें हैं उनको सुधारा जाए जिससे ईक लौगों को आने जाने मैं किसी तरह की तकलीफ न हो। यह नहीं होना चाहिये कि इस मामले से सम्बन्धित सारी फाईलें दफतरों में ही चक्कर काटती रहैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अमैंडमैंट बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी सतबीर सिंह कादयान (नौलथा): स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने यह बिल पेश करके किसानों और जमीदारों के प्रति अपना एक बहुत अच्छा फर्ज निभाया है। अबे तक किसान जब अपने खेत से अपनी फसल मंडी में लाता था तो सड़कें खराब

होने की वजह से उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। किसान मार्किट कमेटी/मार्किटिंग बोर्ड को और सेल्ज टैक्स डिपार्टमैंट को चुँगी या टैक्स के रूप में पैसा देता है परन्तु उसकी सुविधा के लिए सड़कें नहीं हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए मार्किटिंग बोर्ड को लिंक रोड्ज बनाने का अधिकार इस बिल के जरिए दिया जा रहा है। इससे किसानों को काफी फायदा होगा। अब वे भी समझेंगे कि देवी लाल की सरकार में हमारी सुनवाई हुई है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

डा० बृज मोहन (जगाधरी): स्पीकर साहब, मन्त्री जी जो यह बिल लेकर आए हैँ मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे जगाधरी यमुना–नगर की मंडी का भी ध्यान रखें कि उसका क्या बन रहा है। क्या वहां की मंडी इकट्ठी रहैंगी या अलग–अलग बनेगी। हमारी जगाधरी की पुरानी मंडी तोड़ दी गई है और व्यापारी वहां से 'उठ कर नई मंडी में चले गए हैं। मुझे पता नहीं 30 कि उस मंडी को यमुनानगर की मंडी के साथ ही जोड़ा जाएगा या फिर से उनके वहां से उठना पड़ेगा। इसलिए कृपया उसका ध्यान रखे। मैं मन्त्री जी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि जो बहुत जरूरी डुप्लीकेट लिंक रोड्ज हैं और मंडी सै कैवल एक–एक किलोमीटर हैं उनकों भी ध्यान मे रख कर बनाया जाए क्योंकि अब 10– 15 किलोमीटर का चक्कर काट कर आना पड़ता हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन हमारे सामने है इसका श्रेय निश्चित रूप से हगारी लोकप्रिय सरकार को जाता है। मंडी मे द्वी हुई सड़कों की हालत कौ ध्यान' में रखते हुए हमारे मन्त्री महोदय ने यह संशोधन विधेदक हाउस में प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आप जानते हैं कि इन मंडियों में हमारे किसान गांबों से अपना उत्पादन लेकर जाते हैं। सीमित साधनों के रहते हुए सड़कों की हालत अच्छी नहीं थी इसलिए किसानों को मंडी तक अपनी उपज ने जाने में बहुत तकलीफ होती थी। कई जगह पर बीच में एक–दो किलोमीटर के गैप हैं और वह।. पर सड़क बगैर निर्माण के रह गई थी। तो इस संशोधन के तहत यह प्रावधान होगा कि मार्किटिंग बोर्ड का पहले जो पैसा केवल मंडी के अन्दर ही खर्च किया जा सकता था अब वह लिंक रोड्ज बनाने के लिए भी खर्च किया जा सकेगा। इससे पहल यह पैसा लिंक रोड्ज बनाने के लिए खर्च नही किया जा सकता था। अब इस पैसे से लिंक रोड्ज बनाने का प्रावधान किया गया है इससे किसानों को बहुत सुविधा हो जाएगी। इसके अलावा इस संशोधित बिल में जो और अमैंडमैंट को गई हैं वे भी बहुत उपयोगी साबित होगी। इसलिए हमारे कृषि मन्त्री महोदय और हमारी लोकप्रिय सरकार बधाई की पात्र है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी किशन सिंह सांगवान (गाहाना): स्पीकर साहब, यह जो अमैंडमैंट बिल पेश किया गया है यह बहुत सराहनीय है। ऐक्ट की सैक्शन 28 के अन्दर केवल एक शब्द की हैंर–फेर से यानी एक शब्द कीं चेंज से इस ऐक्ट में बहुत सुधार आया है। स्पीकर साहब, पहले इस सैक्शन मे क्लाज (6) के अन्दर केवल 'ऐप्रोच रोड' शब्द था। ऐप्रोच रोड शब्द के साथ इसमें 'लिंक रोड' शब्द जोड़ दिया गया है। ऐप्रोच रोड का मतलव यह था कि जो गांव सीधे मंडी से जुड़े हुए थे केवल वही सड़कें उस ऐक्ट के द्वारा बनाईं जा सकती थी लेकिन उभ–समे लिंक रोड शब्द एड करने से वह ऐप्रोच रोड भी कवर हो जाते हैं। इस अमैंडमैंट से उन गांवों को भी बड़ी भारी सुविधा है जो मंडियों से बहुत दूर पड़ते थे और वे सीधे मंडियों से अटैच नहीं थे। उनको अब बडा भारी फायदा होगा। इसलिए हमारे कृषि मंत्री और हमारी लोकप्रिय सरकार बधाई की पात्र है। हमारे कृषि मंत्री बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने समय निकाल कर किसानों की इस तकलीफ को वड़े ध्यान से समझा है और इस अमैंडमैंट के जरिए किसानों की समस्याओं का समाधान किया है। ईसके अलावा, स्पीकर साहब, शहरों की जितनी भी म्यूनिसिपल कमेटीज है उनके अन्दर जो सड़कें हैं, चाहैं वे सडकें मंडी की हों और चाहैं नगर–पालिका की हों उनका बहुत बुरा हाल है। मैं आपके सामने गोहाना सब्जी मंडी का जिकर करना चाहूंगा कि उसमें लगातार 20 साल से वहां की म्यूनिस्पिल कमेटी ने सडकों पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। उस मडी की सड्कों पर न मार्किटिंग बोर्ड ने एक पैसा खर्च किया

है और न ही पी० डब्ल्यू०डी० ने खर्च किया है ओं उस मडी के आस–पास के सभी किसान उसमें अपनी अपनी सब्जी लेकर आते हैं। नगरपालिका कहती है कि हमारे पास फण्डज नहीं हैं, मार्किटिंग बोर्ड वाले कहते है कि हमारे पास इन सड्कों को ठीक करवाने की पावर नहीं है और पी०डब्ल्यू०डी० वाले कहते है कि ये सड़कें हमारे एरिया में नही आती हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि गोहाना शहर के अन्दर जो सड़कें हैं उनको ठीक करवाया जाए। मैं कृषि मंडी जी से रिक्वैस्ट करुंगा कि गोहाना में जो सब्जी मंडी रोड के नाम से रोड है उसकी 20 साल से बहुत बुरी हालत है। उस रोड को ठीक करवाने के लिए मार्किटिंग बोर्ड से कुछ पैसा दे करसे किसानों की समस्या था समाधान करवाए। इसके अलावा स्पीकर साहब, कटारिया साहब ने जो बातें कही हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। हरियाणा के अन्दर जितनी भी मार्किट कमेटीज बनी हुई हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, चाहैं उनके मैंम्बर है चाहैं चेयरमैन हैं ओर चाहैं वाईस चेयरमैन हैं उनके पास वास्तव में कोई पावर नही है। उनके पास केवल एक ही पावर है कि वे केवल प्रस्ताव पाम कर सकते हैं। वे न किसी अफसर को सस्पैंड कर सकते हैं और न किसी कर्मचारी को प्रमोट कर सकते हुँ और न ही किसी कर्मचारी या अफसर की ट्रांस्फर करवा सकते है। उनके पास कोई पावर नहीं है। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह जो काग्रेंस पार्टी की सरकार की डाली हुई प्रथा है इसको समाप्त किया जाए और उगको पावर दी जाए। वे पब्लिक के नुमायंदे। इस डैमोक्रेटिड

सैट अप में पब्लिक के नुमायंदों के पास पावर होनी चाहिए। वे वहां पर नौमिनेटिड नुमायंदे होते है लेकिन उनको कोई नही पूछना। वहां पर न कोई ऐक्सीयन बैठता है, न कोई ओवरसीयर बैठता है क्योंकि उनके पास उनके चौक करने को कोई पावर नही है। अगर कोई औफिसर कोई गलती करता है या कोई सामान खरीदने में गलती करता है तो उसको वे नहीं पकड़ सकते। अगर कोई कर्मचारी अच्छा काम करता है तो वे उसका हौसला नहीं बड़ा सकते। या मार्किटिंग ऐक्ट में बड़ी भारी कमी है। इसलिए मैं आपके द्वारा कृषि मात्रों जो से रिक्वैस्ट करूंगा कि किती आर्डीनैसं के जरिए या किसी अमैंडमैंट के जरिए इस 'ऐक्ट में ऐसा प्रावधान जरूर किया जाना चाहिए कि मार्किट कमेटी की सारी पावर पब्लिक के नुमायदों के पास होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री दुर्गा दत्त अत्री (राजौद): स्पीकर साहब, मैं पंजाब कृषि उपज मन्डी (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1989 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत ही बढ़िया संशोधन माननीय मंत्री जी लाये हैं। इस संशोधन की बहुत लम्बे समय से मांग की जा रही थी। जब हम देहात मैं जाते थे तो लोग यह मांग करते थे कि हमें 15 – 15 कि० मी० का सफर तय करके सिर्फ डेढ़ दो कि० मी० का टुकड़ा पक्का न होने की वजह से तय करना पड़ रहा है। यदि ये छोटे छोटे टुकड़े बना दिए जाएं तो हमारा यह लम्बा सफर बच सकता है। अब सरकार ने यह संशोधन

ला कर एक अच्छा काम किया है। अब किसानों को अपनी जिन्स मण्डियों में लाने में सुविधा मिलेगी। लोगों को यह सुविधा देना भी जरूरी हो गया था, बल्कि मैं तो यह भी कहूंगा कि इसे तो बहुत पहले लाया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय, मण्डी के चेयरमैन, उप सभापति और बाकी सदस्यों के बारे में कटारिया जी ने और सागवान जी ने बहुत ही जरूरी बातें हाउस में कही हैं। अब तक तो यही रहा है कि कमेटी का जो गठन किया जाता है उसके पास कोई ताकत नहीं होती। मैं आपके माध्यम से मंजी महोदय से और सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि इस कमेटी को ज्यादा से ज्यादा ताकत दी जाये ताकि वे इस संशोधन को लागू करने में कोई कमी न रखें और हम जल्दी से जल्दी जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं, उसमें कामयाब हो सकें। कही ऐसा न हो कि कहीं का कोई प्रस्ताव पास करके उसे बीच में ही डाले रखें और उस पर कोई अमल न हो। मेरे करने का अर्थ यही है कि जहां पर हमने कमेटियां बना दो हैं उनको अधिक से अधिक अधिकार दिए जाऐ और जहां पर अभी तक कमेटियों का गठन नहीं किया गया हैं वहां पर जल्दी मे जल्दी कमेटियां गठन करके उनको अधिक से अधिक अधिकार दिए जाएं ताकि जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसे प्राप्त कर सकें। अन्त में मैं स्पीकर साहब, इस बिन का समर्थन करते हुए और आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हू।

मुख्य मंत्री की आख के आप्रेशन हैंतु शुभकामनाएं

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): आन ए प्वायंट औफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मन्त्री जी अपनी आँखों का आप्रेशन करवाने के लिए अमृतसर जा रहैं हैं। मैं उन्हैं अपनी तथा सदन की तरफ से यह शुभकामना देता हूं कि वे जल्दी से जल्दी ठीक हो कर

दि पंजाब ऐग्री कल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989 (पुनरारम्भ)

श्री बलबीर सिंह चौधरी (फतेहाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने और मन्त्री महोदय ने यह अमैंडमैंट ला करके किसानों की एक बार फिर सुध ली है। मैं इसके लिए मन्त्री महोदय को मुबारिकबाद देता हूं। यह बिल वाकई समर्थन के योग्य है। मैं मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए इस बिल के विषय में कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

स्पीकर साहब, पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान मार्किटिंग बोर्ड में और मार्किटिंग कमेटियों से बड़ा भारी घपला रहा है जिसमें फतेहाबाद मंडी भी शामिल है। मैं चाहता हूं कि उनकी इन्क्वायरी कराई जाये। उस समय फतेहाबाद मण्डी के अन्दर जो फर्श डाला गया था मैंने उनका मामला उठाया था। उस मण्डी में ईंटों के पुराने फर्श की बजाये बजरी का नया फर्श डाला

गया। यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि जिस ठेकेदार ने उस मण्डी का ठेका लिया हुआ था वह भजन लाल का रिश्तेदार था। उस काम में लाखों रुयये का घपला हुआ है। बाद में वहां से सारी ईंटें उठा ले गए। ऐसे काम मार्किट कमेटियों में जहां पर हुए हैं वहां पर लाखों रुपये व्यर्थ खर्च हुए हैं जिससे स्टेट को भारी नुकसान हुआ है। इस सिलसिले में मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि जो पैसा सड्कों पर खर्च किया जाना है, – उस पर नए सिरे से विचार किया जाये। हमारा पी० डब्ल्यू० डी० एक भारी भरकम महकमा है। इस समय इस विभाग के पास फण्डज न होने की वजह से कोई काम नहीं रह गया है। इस बारे में मेरा सरकार को सुझाव है कि जहां पर सड़के बनवाई जानी है वहां पर डिपार्टमैंटल चार्जिज वेव करके पी० डब्ल्यू० डी० के एस्टिमैटस के अनुसार पैसा पी० डब्ल्यू० डी० के पास जमा करा दिया जाये तथा उस पर ऐडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल मार्किटिंग बोर्ड का रहैं और जितनी भी सड़कें बनाई जानी हों वे सारी की सारी पी० डब्ल्यू० डी० से बनवा ली जाएं ताकि सडकें सही बनाने के जो नौर्म्ज होते हैं उनकी सारी जिम्मेवारी एक ही विभाग पर रहैं और ऐसा करने से मार्किटिंग बोर्ड को बिना वजह जो लाखों रुपये. का नया खर्चा होगा या बोर्ड में जो घपला होता है, वह नहीं हो पायेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल में जो सदस्यों को हटाये जाने या अप्वायंट करने के बारे में अमैंडमैंट लाई गई है उसके लिए भी मैं एक सुझाव दूगा।

अध्यक्ष महोदय, लाखों रुपया सब्जी मंडियों से मार्किट फीस के रूप में वसूल किया जाता है लेकिन सब्जी मंडियों की तरफ मार्किट कमेटियां कोई ध्यान नहीं देती। हमारे यहां फतेहाबाद में सब्जी मण्डी बनाने के लिए प्रपोजल है, जमीन ऐक्वायर की जा चुकी है लेकिन अभी तक उसको शुरू करने की तरफ कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि इन प्रावधानों में एक प्रावधान यह भी रख लिया जाए कि जो लाइसैसं होल्डरज में से 4 सदस्य होंगे उनमे से दो तीन सदस्य अनाज मण्डी से और 1–2 सदस्य सब्जी मण्डी से भी अवश्य लिए जाएं। हर स्थान पर चारा मण्डी के लिए भी प्रावधान होना चाहिए। कई जगह सब्जी मण्डी तथा चारा मण्डी बनाने की प्रपोजल्ज हैं, जमीन भी एक्वायर की जा रही है लेकिन काम शुरू करने के लिए उन पर पू रा ध्यान नहीं दिया जा रहा णै जिससे किसानों को कष्ट हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं फतेहाबाद का उदाहरण देना चाहता हूं। फतेहाबाद में पिछले 20– 25 साल से सब्जी मण्डी बहुत छोटी जगह पर है, सड़क बहुत तंग है जिस कारण रोजाना ऐक्सीडैंट होते हैं, स्कूल जाने वाले लड़के और लड़कियां ऐक्सीडैटस में मरे हैं। मैं इस विषय में मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस तरफ ध्यान देते हुए ऐसा प्रावधान किया जाए कि मार्किट कमेटियां सब्जी मण्डियों की तरफ भी पूरा ध्यान दें। इसके साथ–ही–साथ मैं यह भी अनुरोध करुंगा कि फतेहाबाद में चारा मण्डी और ऐडीशनल कौटन मण्डी बनाने का काम शीघ्र

शुरू किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हू। धन्यवाद।

सेठ लछमन दास बजाज (करनाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मन्त्री जी जो यह बिल लाए है मैं इसका समर्थन करता हूं। इसके साथ –ही– साथ मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। कुछ मण्डियों के अन्दर खासकर करनाल मण्डी के अन्दर कुछ कमियां हैं जिन्हैं शीध्र दूर किया जाना चाहिए। करनाल मण्डी में न तो लैट्रिन की और न ही यूरिनल की कोई व्यवस्था है। करनाल मण्डी में सफाई का इन्तजाम नही है यहां तक कि सफाई का कोई नामों–निशान ही नहीं है। मण्डी वालों से सफाई के लिए कहैं तो वे कहते कि हैं आप ही सफाई करवा दीजिए। यह तो आपका भी फर्ज है या फिर म्यूनिसिपल कमेटी का काम है। म्यूनिसिपिल कमेटी द्वारा अथवा मार्किट कमेटी द्वारा ये सभी सुविधाएं वहां पर उपलव्ध करवाई जानी चाहिए और वहां पर लाईट का भी इन्तजाम होना चाहिए। इस के साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हू कि यह सड़क का जो काम मार्किट कमेटी के जिम्मे हो गया है यह वहुत ही अच्छा काम है। मार्किट कमेटी ने यह काम करके सारे कृषि सैक्टर की जिम्मेदारी ली है और यह अब जमींदारों और शहरों में अच्छा काम करके दिखाएं जिससे शहरों के लोग भी ठीक ढंग से रहैंगे और जमींदार भी सुखी रहैंगे और म्यूनिसिपिल कमेटी का काम भी ठीक होगा। शहरों में सडकों की हालत काफी खराब हो चुकी थी, पैसा उनके पास नहीं

है। एक करोड पैतीस लाख रुपया म्यूनिसिपिल कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च हो जाता है। इसके अतिरिक्त 42 लाख रुपये के लगभग म्यूनिसिपिल कमेटी का बिजली आदि का खर्च आ जाता है। दो करोड़ रुपये का हमारा टोटल बजट है, हमारे पास बाकी कुछ बचता ही नहीं है। इस बिल को लाने के लिए मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं। यह खुशी की बात हैं कि उनका ध्यान इस तरफ भी गया। इसके साथ ही मैं हाऊस को भी बधाई देता हू और इस बिल का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री आत्मा राम गोदारा (घिराय): अध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने दिल नम्बर 1–एच० एल० ए० औफ 1989 पेश हुआ है। यह बिल दी पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किटस एक्ट, 1961 को अमैंड करने के लिए मंत्री महोदय ने पेश किया है। मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हू। इस बिल में वैसे तो क्लाज 1 से क्लाज 9 तक अमैंडमैंट्स हैं लेकिन इनमें विशेष रूप से क्लाज 9 बड़ी महत्वर्पूण है। अध्यक्ष महोदय, पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स एक्ट, 1961 मैं कुछ कमियां थीं, उन कमियों को दूर किया गया है। मार्किटिंग बोर्ड के पास पैसा होते हुए भी और किसानों के लिए कार्य करना चाहते हुए भी वह पैसा नही लगा सकता था। पैसा होते हुए भी यह कमी थी। खासतौर पर यह कमी इसलिए पैदा हुई कि हाईकोर्ट की रूबरू कोई केस पेस हुआ और उस केस में फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने एक शब्द–अप्रोच

रोड जोड़ दी जिसकी वजह से मार्किटिंग कमेटी जो रुपया खास तौर से किसानों के लिए और उनकी सहूलियतों के लिए लगाना चाहती थी उसमें बाधा आ गई। अगर इस जगह पर शब्द लिंक रोड होता तो वह सारी रूकावट दूर हो जाती लेकिन ऐसा नही था। हमारे आदरणीय मंत्री चौधरी तैयब हुसैन जी ने यह अमैंडमैंट पेश करके जो बाधा मार्किटिंग बोर्ड को पैसा खर्च करने में आती थी वह दूर कर दी। इस बिल के पास होने से वह बाधा दूर हो जायेगी। आदरणीय मंत्री जी को इसके लिए मैं बधाई देता हूं और इस बिल का स्वागत करता हूं। इसके साथ–साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऐसा सुनने में अमूमन आ रहा है कि मार्किटिंग बोर्ड में अगर मार्किट फीस ईमानदारी से पूरी आ जाये तो किसानों को सुविधा देने के लिए काफी काम क्रिया जा सकता है। इसलिए मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस एक्ट में कुछ इस तरह के प्रावधान भी लाये जायें जिससे जो लूपहोल्ज हैं जिनकी वजह से मार्किट फीस पूरी नही आती है या तो हैंराफेरी हो जाती है उसे खत्म करके फीस पूरी वसूल की जा सके। इससे मार्किट कमेटी की आमदनी बढ़ेगी और उस पैसे को किसानों की सहूलियतों पर खर्च किया जा सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हू।

श्री कुन्दन लाल भाटिया (फरीदाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं लेकिन मैं कुछ बातें हाउस के सामने रखना चाहता हूं। फरीदाबाद में अनाज

मंडी, सब्जी मंडी और चारा मंडी की बहुत ही बुरी हालत है। वश पर काम तो शुरू हो गया है लेकिन उसे तेजी से नहीं किया जा रहा है। अगर वहां पर तेजी से काम किया जाये तो अच्छा होगा। फरीदाबाद में जितनी आबादी है उसके हिसाब से वहां की सड्कों की बुरी हालत है। श्री बनारसी दास गुप्ता ने वायदा किया था कि वहाँ की सड़कों को बहुत जल्दी ठीक करवा दिया जायेगा लेकिन आज उस बात को भी छः महीने हो गये हैं। आज तक उस बात पर कोई गौर नहीं किया गया। वहां की सब्जी मंडी की बहुत बुरी हालत है। वहां पर दस बजे दिन में कोई आदमी गुजर नहीं सकता, सारी सड़क कद हो जाती है। इसलिए वहां पर जल्द से जल्द काम किया जाये और फरीदाबाद की जो बुरी हालत है उसमें सुधार किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री शान्ति प्रकाश भल्ला (कालका): अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल कृषि मंत्री महोदय ने संशोधन के लिए पेश किया है, मैं उस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो हमारे प्रदेश में सड़कें गांवों में या शहरों तक जाती थी, मार्किट कमेटियों तक जाती थीं, और जो टूटी–फूटी थी, उनकी मुरम्मत करने के लिए पहले बहुत टाईम लग जाता था। हमारा पैसा पी० डब्ल्यू० डी० के पास जाता था। फिर उसका यूटिलाईजेशन हो सकता था। अब इस बिल के पास हो जाने से यह काम आसान हो जायेगा। सड्कों की मुरम्मत करने में आसानी हो जायेगी। मैं इस बिल का

समर्थन करता हू और साथ ही कृषि मंत्री महोदय की सेवा में अपनी तरफ से एक–दो. सुझाव पेश करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में कुछ मार्किट कमेटीज तो इन्होंने बना दी हैं लेकिन कुछ अभी बननी बाकी हैं। मेरा कहना यह है कि उनको भी जल्दी से कांस्टीच्यूट किया जाये। मार्किट फीस की चोरी बहुंत हो रही है। इस को रोकने के लिए भी कोई बिल लाया जाए। ताकि हमारे प्रदेश में जो मार्किट फीस की चोरी है, वह रोकी जा सके और इस पैसे को अपने क्षेत्र में सड़कें बनाने के लिए और दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जा सके। चाहैं ऐप्रोच रोड्ज हों या नयी सड़कें, वह मार्किट कमेटी की रिकोमैंडेशन पर बनायी जायें। मेरे इस सुझाव पर गौर किया जाये ताकि जो रुपया किसी भी मार्किट कमेटी से वसूल किया जाता है, उसका ज्यादा हिस्सा या मुनासिब हिस्सा उसी हल्के की एप्रोच रोड्ज के बनाने में लगाया जा सके। अन्त में मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री हजार चन्द (सिरसा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आनरेबल कृषि मंत्री जी ने जो यह संशोधन बिल पेश किया है, मैं– इसके लिए इनको मुबारिकवाद देता हूं क्योंकि इस बिल की जरूरत बहुत दिनों से किसानों और मंडियों से सम्पर्क रखने वाले लोग महस्स कर रहैं थे और इसकी इन्तजार कर रहैं थे। इस के साथ ही मैं कुछ एक दो चीजें मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। इस वक्त मार्किट कमेटी के किसी अफसर या सैक्रेटरी को मुकम्मल तौर पर कुछ भी खर्च करने का अख्तियार नहीं है सिवाय दो

अढ़ाई सौ रुपए के। इसका कुछ मायना नहीं है। मैं इस बारे में एक मिसाल देना चाहता हूं। सिरसा मार्किट के अन्दर एक साल पहले लाईटें खराब हो गयीं। (व्यवधान व शोर)

श्री तैयब हुसैनः अब तो यह अख्तितार हमने बढ़ा दिया है और काफी बड़ा दिया है। (विघ्न) आप कह लिजिये मैं आपको बाद में बता दूंगा (व्यवधान व शोर)

श्री हजार चन्दः अगर मंत्री जी यह कह रहैं हैं कि उन्हैंने अख्तियार बडा दिये हैं तो बहुत अच्छी बात की गयी है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हू कि ऐस्टीमेट्स पास करने की पावर्ज ऐक्सीयन के पास होती हैं। यह अख्तियार कमेटी को होना चाहिये। सिर्फ ऐक्सीयन ही उसको मंजूरी न दे क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि काम करवाना जरूरी होना है और ऐक्सीयन टैडर नामजूर कर देता है। उस वजह से डिले हो जाती है 1 अगर कमेटी को यह अख्तियार दे दिया जाये तो यह काम जल्दी हो पायेगा। इसके साथ ही एक तजवीज यह भी पेश की गई है कि पी० डब्ल्यू० डी० के पास सड्कों को काम देना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका कोई अच्छा रिकार्ड नही है। उसकी निस्बत मैं यह समझता हू कि मार्किट कमेटी द्वारा इसके एरिया के अन्दर जो सड़कें वनी हैं, वह ज्यादा अच्छी बनी हुई हैं। मेरा विचार यह है कि इन सड्कों की निगरानी के लिए एक कोई उप–समिति बना दी जाये, ऐसी कोई प्रोपोजल होनी चाहिये। सिरसा मडी अश्व भी बहुत बड़ी मंडी है लेकिन उस एरिया के

अन्दर उपज इतनी ज्यादा है कि अभी तक भी कोई जिन्स जैसे नर्मा या धान अगर आ जाते है तो मंडी के अन्दर कहीं पर भी रखने की जगह नहीं मिलती। सारा बाजार और सारे मोहल्लों की गलियां सारी जिन्स से भरी होती हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि सिरसा के अन्दर मंडी को और ज्यादा वसीह करने के लिए ज्यादा जमीन एक्वायर करें या यदि और जगह पड़ी हो तो उस तरफ मंडी को बढ़ाये और उसको ज्यादा बड़ा करें। पशुओं की वजह से मंडी में इतना ज्यादा नुक्सान होता है लेकिन उसकी तरफ मार्किट कमेटी कोई ध्यान नहीं दे रही है। बार–बार कहने के बावजूद भी, इसके लिए कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। पशु मंडी मे इतना नुक्सान करते हैं कि उससे जमींदार वहुत परेशान होता है। इन लफ्जों के साथ मैं इस संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हू जो कृषी मन्त्री महोदय की ओर से इस सदन में रखा गया है।

कृषि मन्त्री (श्री तैयब हुसैन): मोहतरिम स्पीकर साहब, मैं मुअजिज मैम्बरान का मशकूर हूं कि सब ने इस बिल को अच्छा बताया है और इसकी तारीफ की है। चौधरी देवी लाल की सरकार ने आते ही किसानों की भलाई के लिए जो कदम उठाए हैं उनमें से यह एक कदम एं। अब से पहले जो सरकार आती रही उन्होंने इसकी तरफ खास ध्यान नहीं दिया और अगर कुछ ध्यान भी दिया तो उस पर प्रैक्टिकली अमल नहीं किया। में सारे हाउस का मशकूर हूं कि उसने चौधरी देवी लाल की सरकार के इस कदम

की सराहना की है। चौधरी देवी ताल की सरकार का यह बहुत ही अच्छा कदम है यह सोरा कुछ उनके हुक्म से ही हुआ है। कुछ मुअजिज मैम्बरान ने कुछ बाते कही हैं जैसे डा० मंगल सैन और हीरा नन्द आर्य ने कहा कि शहरों की सड्कों की हालत खराब है और आर्य साहब ने कहा कि सड़को के बारे में पी० डब्ल्यू० डी० और मार्किटिंग बोड में झगड़ा है इसलिए वे ठाक नही हो पा रही हैं। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि हम पी० डबल्यू० डी० के साथ बैठकर बात करेंगे। जहां तक पी० डब्ल्यू० डी० की मल्कियत की बात है हम टैक्नीकल्टीज में न जाकर आपस मै बात करेगे और अगर कोई समस्या होगी तो उसको हल करेंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि मल्कियत के व वह से कोई काम अधूरा न रह जाए। आर्य साहब ने डिगावा मण्डी में सड़क बनाने के बारे में कहा है हम उस को देख लेंगे। इन्होंने चारे के०पर टैक्स माफ करने की बात भी कही है। हम इसको भी देख लेंगे। कटारिया साहब ने कहा कि मण्डियों के पास अख्तियारात कम हैं, यह उनकी बात ठीक है। स्पीकर साहब, अत्र से पहले इस तरफ कोई कोशिश ही नहीं की गई। चौधरी देदी लाल ने आम आदमी की बात को सुना है और उसकी दिक्कत को दूर करने को कोशिश नमी है। इस बारे में मैं अर्ज करना चाहता हू कि छोटी मरम्मत के लिए यानी पैटी रिपेयर्ज पर एक हजार रुपया खर्च किया जा सकता है और सिविल वृर्क्स के इसलिए पांच हजार रुपया खर्च किया जा सकता है। मार्किट कमेटी 35 हजार रुपए तक खर्च कर सकती है लेकिन टैक्नीकली ऐस्टीमेट ऐक्सीयन से ऐप्रूव कराना पड़ेगा। रेट

कौटैरक्ट पर पांच हजार तक की परचेज की जा सकती है। छोटे मोटे आइटम्ज पांच सौ रुपए तक के खरीदे जा सकते हैं। पहले यह सीमा 250 रुपए थी। इससे कमेटी की रोजमर्रा की जरुरतें पूरी हो सकेंगी। यह सब कुछ चौधरी देवी लाल के आदेश के मुताबिक ही किया गया है। उनकी इच्छा थी कि मार्किट कमेटी को ये अख्तियारात दिए जाएं। इस तरह से कटारिया साहब की बात पूरी हो जाती है। मै सदन को यह बताना चाहता हूं कि दूसरे मैम्बर्ज ने जो सुझाव दिए हैं उन पर अमल करेंगे मैं डा० बृज मोहन को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि यमुनानगर ओर जगाधरी की कमेटीज एक कर दी गई हैं। दोनो को एक करने के बारे में फौरमल आर्डर्ज हो जाएंगे। श्री रावत और श्री सांगवान ने मुलाजिमो के बारे में कहा। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि क्लास फोर ऐम्पलाइज को मार्किट कमेटी खुद रख सकती है और बाकी का कौमन केडर हए। इसी तरह से सब्जी मण्डी की मुरम्मत के बारे में हम कॉशिश कर रहैं हैं कि जल्द से जल्द उसमें सुधार लाया जा सके। इस बारे में श्री अली जी ने अनुरोध किया है। चौधरी बलबीर सिंह जी ने कहा कि ईंटों के बारे में काफी घपले हुए है। यह सारा काम चौधरी भजन लाल जी के काल में हुआ होगा। आनरेबल मैम्बर साहैंबान से मेरी रिकवैस्ट है कि इस वक्त अगर कोई घपले वाली बात उनके नोटिस में है, तो वे हमारे नोटिस मे लाए हम उस पर अमल करेंगे और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और सजा दी जाएगी।

स्पीकर साहब, मण्डियों की बात मैं कह रहा था। सरकार की यह कोशिश है कि मण्डियों की बजाये सड्कों को तरजीह दी जाए और सड्कों को और अच्छा बनाया जाए ताकि लोगों की समस्याएं दूर हो सकें। टैक्स चोरी की बात भी यहां पर कही गयी तो स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से इस हाउस के सभी मैम्बरान से अपील करना चाहता हूं कि वे सभी इस मामले में सरकार की मदद करें ताकि टैक्स इवेजन को रोका जा सके। इसी तरह गोदारा साहब थे मार्किट फीस कम आने का भी जिकर किया और बजाज साहब ने सड्कों और मण्डियों की मुरम्मत के बार मे कहा। सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है। श्री भाटिया जी ने फरीदाबाद की डिवैल्पमैन्ट का भी जिकर किया। पहले ही वहां की स्थिति को देखते हुए अढ़ाई करोड़ रुपये से०पर का प्रोजैक्ट वहां पर बनाया जा रहा है। काम चालू है। बड़ी ही स्पीड से काम चल रहा है। भाटिया जी कभी वहां पर जा कर आएं और हमें बताएं कि सरकार उनके एरिया में कितनी तेजी से डिवैल्पमैन्ट का काम करवा रही है। इस सारे काम के लिए हुमने वहां पर एक ऐक्सीयन की नियुक्ति भी कर रखी है। इस तरह से और भी जितने उस इलाके के काम हैं, सरकार उनकी ओर ध्यान दे रही है। भल्ला साहब, ने भी मार्किट फीस की चोरी का जिकर किया। हजार चन्द जी ने अख्तायारात की बात कही कि अख्तयारात नहीं हैं। अव उनको तसल्ली हो गई होगी कि ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे अख्तयारात है। इसके इलावा कोई और बात हो तो सर्कार के नोटिस में लाएं, सरकार अवश्य उस पर कार्यवाही करेगी।

फतेहाबाद की सब्जी मण्डी की जो डिमांड हए उसको हम अगले साल के बजट में देखंगे। सडकों की मुरम्मत के लिए तो इस साल हम ने 4 करोड रुपये की राशि पी० डबल्यू० डी० वालों को बोर्ड से दिलवायी है। यह राशि ग्रान्ट के तौर पर दी गयी है। वापिस नहीं लेंगे। इसके साथ–साथ मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगले साल का हमारा जो बजट है, वह इस तरह का है कि 8. 2 करोड़ तो हम नई सड्कों के लिये दे रहैं हैं और जो पुरानी सड्कों की मरम्मत है उसके लिये 2.4 करोड़ दे रहैं हैं। इस वक्त जिन स्की मो पर काम चल रहा है उनके लिये 6.1 करोड़ रखा गया है और नये कामों के लिये 1 करोड़ रखा गया है। मण्डियों की रिपेयर वगैरह के लिए दो करोड़ रुपये का प्रोव जिन है। और भी बहुन से चीजें हैं जो हम करना चाहतें हैं जैसे ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के स्टूडैंटस का स्कालरशिप है या विक्टिमज को फाइनैशियल असिसटैंस देने की बात है या आर्टिफिशियल लिम्बज की बात है। जो भी है ऐग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड के माध्यम से किसानों की खिदमत की जा रही है। इम दिशा में आगे और कोशिश की जाऊगी। इन्शोरैंस के बारे में जो हुमारे आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने ऐलान किया था, उसके बारे में बताना चाहता हुं कि हरियाणा में हमने 25– 2– 1989 से इन्शोरैस स्कीम लागू कर दी हैं (थम्पिंग)। हमने एक साल का 4.807 करोड़ रुपया प्रीमियम का दिया है ताकि हरियाणा के किसानों और मजदूरों को सहुलियत दी जा सके। इस स्कीम में यह है कि अगर बदकिस्मती से किसी किसान की ऐक्सीडैंट में मौत हो जाती है तो उसे

इन्शोरैंस कम्पनी 15 हजार रुपए देगी, अगर किसी का दो लिम्बज का नुकसान होता है तो दस हजार रुपये देगी, एक लिम्ब का नुकसान हौ जाए तो 6 हजार रुपये देगी अपार किसी की तीन अंगुलियां चली जाए तो 4500 रुपए देगी और एक अंगुली चली जाए तो 1500 रुपए देगी। इसमें केवल थ्रेशर से ऐक्सीडैट कवर्ड नहीं है बल्कि हमने यह भी ऐड करवाया है कि अगर किसान का खेत में आते जाते वक्त या मंडी में आते जाते वक्त सड़क पर ऐक्सींडैट हो जाए तो भी उसे मुआविजा मिलेगा। इतनी शर्तों के साथ इस स्कीम को लागू करने वाला हरियाणा पहला सूबा है। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों के तावन से हम लोग आगे बढ़ पाएं। अन्त में मैं निवेदन करुंगा कि इस बिल को पास किया जाए। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 'stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr, Speaker : Question is-

. That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker : Question is-

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker : Question is—

That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 7

Mr. Speaker : Question is—

That clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 8

Mr. Speaker : Question is—

That clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 9

Mr. Speaker : Question is—

That clause 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Questiorm is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Minister to move that the Bill be passed.

कृषि मन्त्री (श्री तैयब हुसैन): स्पीकर साहब मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill he passed.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल सुबह 9–30 बजे तक ऐडजर्न किया जाता है।

16–00 बजे

(तत्पश्चात सदन मंगलवार, दिनांक 28– 2– 1989 को प्रातः 9.30 बजे तक स्थगित हुआ।)